खण्ड-251, अंक-2
मंगलवार, 20 श्रावण, शक संवत् 1886
(11 अगस्त, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 251 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१०३–१०७
विधान सभा सचिवालय के लिए गार्ड्स की नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी	१०७
प्रश्नोत्तर	१०७–१२९
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१२९
उत्तर प्रदेश लोक-सेवा-आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१२९
वित्त विभाग की विज्ञप्ति में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	१२९–१३०
उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका सेवा नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१३०
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के निवास स्थान संबंधी नियमावली, १९६३ (मेज पर रखी गयी)	१३०
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	१३०
दियासलाई के मूल्य में वृद्धि के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	१३१
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं	१३१
विधायक, श्री अवधेशकुमार सिनहा पर हुए घातक हमले के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१३१–१३५
कानपुर में गैस सिलेन्डर फटने से क्षति के संबध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	१३५–१३८
गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा श्री गणेशशंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर में परिगणित जाति के छात्रों के लिये सुरक्षित स्थानों की सुविधा समाप्त किये जाने के संबंध में वक्तव्य	१३८–१४०
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६४ (विचारोपरान्त पारित)	१४०–१५४
नत्थियां	१५५–१५७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ११ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्बुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंद सिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, एडवोकेट, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री

ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री

बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
वंशलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेरीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुव्रत पांसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलसिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दलाल बैरिस्टर, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मेजरसिंह, श्री
मोहनलाल आचार्य, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (ललन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ा, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतनपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री

रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री

सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे ।

विधान सभा सचिवालय के लिये गार्ड्स की नियुक्ति के संबंध में जानकारी

श्री यादवेन्द्रदत्त--

एक व्यवस्था का प्रश्न है कल की घटना से संबंधित । आपकी व्यवस्था है कि सदन के अन्दर पुलिस नहीं आनी चाहिये । कल पुलिस आई । इससे ज्ञात होता है कि आपके पास गार्ड्स नहीं हैं तथा अब तक उनका एप्वाइंटमेंट नहीं किया गया है । क्या सरकार उसमें बाधक है या आपके पास उचित लोग नहीं आये ? सरकार अगर बाधक है तो सदन के सामने रख कर गार्ड्स का एप्वाइंटमेंट किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

कोई बाधक नहीं है । उसका प्रबन्ध हो रहा है । सिर्फ सवाल है कितने हों, किस तरह से हों । इसी वजह से विलम्ब हुआ है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या कोई ऐसा नियम है कि किसी सदस्य को ले जाकर धूप में लिटा दिया जाय और बाद में यह पूछने पर कि ऐसा आदेश है उनके पास, अधिकारी न दिखा सकें, तो कैसे वह सदस्य बाध्य किया जा सकता है सदन में न वापस आने के लिये ?

श्री अध्यक्ष--

यह सब बाद में होगा ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ११ अगस्त, १९६४

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सुल्तानपुर जिले में सिंचाई के गलत इन्दराज करने वालों को दण्ड

*१--कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या सरकार को विदित है कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड, जामो, मुसाफिरखाना, गौरीगंज तथा मंटओ में नहर विभाग द्वारा असिंचित खेतों को सिंचित भूमि दिखाया गया है जिससे जनता को महान् आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इसकी क्या व्यवस्था की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा उप-मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

उक्त स्थानों के काश्तकारों द्वारा प्राप्त हुई शिकायतों से ज्ञात हुआ कि कुछ असिंचित खेतों को सिंचित दिखाया गया था। शिकायतों की जांच की गई, फलस्वरूप २०४ रु० ५२ पैसा की छूट कृषकों को दे दी गई।

*२--कुंवर रुद्रप्रतापसिंह--

क्या सरकार को यह भी विदित है कि उपरोक्त विकास खण्डों में ऐसी भी भूमि को सिंचित दिखाया गया है जिस पर फसलें बोई ही नहीं गयीं ? यदि हां, तो इस पर क्या व्यवस्था की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

बिना बोये हुए खेतों को सिंचित दिखाने के संबंध में भी शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच के बाद ११२.०० रुपये की छूट दे दी गई।

कुंवर रुद्रप्रतापसिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि जिन कर्मचारियों द्वारा बिना सिंचित तथा बिना बोये खेतों को सिंचित दिखा दिया गया उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसमें बहुत सीरियस व्यू सरकार ले रही है। ३ व्यक्तियों को सस्पेंड किया जा चुका है और यह आदेश दिये गये हैं कि यदि अस्थायी कर्मचारी हैं तो उनको नौकरी से बरखास्त कर दिया जाय और यदि स्थायी हैं तो निलम्बित करके सख्त कार्यवाही की जाय।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

यह असिंचित जमीन जिस पर काश्तकार ने काश्त नहीं की, उसका क्षेत्रफल कितना है और उस पर किसानों से आबपाशी टैक्स कितना वसूल किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

ग्राम जामो में ५ बीघा ५ बिस्वा, रांची में ५ बिस्वा, हिरवा में ५ बीघा ५ बिस्वा, गौरीगंज मऊ में १ बीघा १० बिस्वा, दोनों को मिलाकर इस तरह से लिया गया है। ४७ रुपया ५ बीघा ५ बिस्वा का और ५ बिस्वा का २ रुपया १९ नये पैसे और ५ बीघा १० बिस्वा का ४९ रुपया। कुल मिलाकर ९८ रुपया ८८ नये पैसे और बाद वाले का १३ रुपया १२ नये पैसे, इस तरह से ११२ रुपया कुल हुआ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जो नहर इन इलाकों में कट गई थी जिसकी वजह से किसानों के खेतों में पानी भर गया और उनकी फसल सड़ गई, तो क्या उन किसानों पर भी लगान बांध दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इन्क्वायरी करवा कर इन किसानों को सहायता देंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

संबंधित ब्लाकों की जांच कराई जा चुकी है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानेंगे कि नहर विभाग में इस प्रकार की धांधली सुल्तानपुर में ही नहीं हुई बल्कि वाराणसी आदि अन्य जिलों में भी हुई है, तो क्या मंत्री जी कोई ऐसे कड़े निर्देश देने की कृपा करेंगे जिससे असिंचित भूमि रिकार्ड में न लिखी जाया करे और किसानों को परेशानी न हो ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

आदेश तो बहुत काफी हैं। लेकिन ऐसी कोई बात अगर सामने लाई जायगी तो इसी तरह से सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

इस बात को देखते हुए कि जिन लोगों ने उज्रदारी दायर की उन लोगों को छूट मिल गई। अब भी बहुत से ऐसे काश्तकार हैं जो समय पर उज्रदारी नहीं कर सके हैं और जिनसे सिंचाई वसूल की जा चुकी है, अगर वे उज्रदारी करें तो क्या उनको भी मिन्हाई दी जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इस क्षेत्र में जिन लोगों ने उज्रदारी की या नहीं की सब लोगों के बारे में जांच की जा चुकी है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन जमीनों में गलत इन्दराज लिखे गये उनमें क्या क्या जिन्स लिखी गई थी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इनके केसेज में खरीफ की फसल दर्ज है। जिन्स का नाम नहीं लिखा है।

फियट कारं की खरीद

*३---श्री रघुवीर, श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि १ अप्रैल, १९६२ से ३१ जनवरी, १९६२ तक Fiat Cars की खरीद के लिये सरकार ने किन-किन को प्राथमिकता प्रदान की और क्यों ?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)---

इस अवधि में जिन व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की गई, उनके नाम संलग्न सूची में दर्ज हैं। ये गाड़ियां सरकार के डिस्क्रिशनरी (discretionary) कोटा से दी गईं। जरूरत व गाड़ियों की तादाद के लिहाज से प्राथमिकता प्रदान की गई।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५५ पर)

*४---श्री रघुवीर, श्री विजयपालसिंह तथा श्री चन्दनसिंह---

क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि Fiat Cars की इस समय जो कीमत है और उसकी मार्केट प्राइस में एक भारी अन्तर है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

नई फिएट गाड़ियों का मूल्य अधिकृत विक्रेताओं द्वारा बिक्री के लिये निर्धारित है। फिएट गाड़ियों की अधिक मांग होने के कारण सेकन्ड हैन्ड गाड़ियों का मूल्य भी काफी ऊंचा है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह जो सूची है वह किस अवधि की है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

१-४-६२ से ३१-१-६३ तक की यह सूची है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---

फियट कार्स के यह परमिट किसी आधार पर दिये जाते हैं या डिस्क्रीशनरी है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

यह गवर्नमेन्ट के डिस्क्रीशन पर आधारित है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

जितने फियट कार्स की सप्लाई होती है उसमें कितने परसेंट सरकार का डिस्क्रीशनरी कोटा रहता है और उस कोटे को बांटते समय केवल सरकारी अधिकारियों को ही दी जाती है, क्योंकि सूची में केवल सरकारी अधिकारियों का ही नाम है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

सरकार के डिस्क्रीशन में जो मैनुफैक्चरर्स मैनुफैक्चर करते हैं उसका कुल ५ प्रतिशत मिलता है और उसमें भी घटा बढ़ी हो जाती है। सरकार अपने डिस्क्रीशन से जो देती है उसमें सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त पब्लिक परपजेज में समझ कर विशेष व्यक्तियों को भी दी जाती है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

क्या मंत्री जी उन व्यक्तियों का नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिनको इस अवधि में गाड़ियां दी गयी हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

२७ नाम हैं ।

श्री अध्यक्ष---

उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त किन विशेष व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

प्रार्थना-पत्र विशेष व्यक्तियों द्वारा दिये गये और उनको परमिट्स भी दिये गये ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

इस अवधि में सरकार के पास कितने प्रार्थना-पत्र आये और उनमें से किस गैर सरकारी व्यक्ति को विशेष व्यक्ति समझा गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री रघुवीर ---

जिनको यह गाड़ियां दी गयीं थीं उनमें से कितने के पास अब भी है, कितनों ने वापस कर दी और कितने लोगों ने बेंच दी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

मैं प्रश्न समझा नहीं, वापस हो गयीं से क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष--

वह यह चाहते हैं कि क्या आपके पास कोई सूची है जिससे यह मालूम हो सके कि जिनको गाड़ियां दी गयीं उनमें से कितनों के पास हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

यह सूचना तो नहीं है लेकिन आर्डर में स्पष्ट है कि २ साल से पहले कोई गाड़ी बेच नहीं सकता ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

६२-६३ में कितनी गाड़ियां सरकारी नौकरों और कितनी नान-सरकारी नौकरों को दी गयीं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

यह जिस अवधि का प्रश्न है उसमें २७ गाड़ियां कुल दी गई हैं । इसमें कितने सरकारी नौकर हैं और कितने नहीं, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)---

इन गाड़ियों के वितरण में जो डिस्क्रीशन यूज किया जाता है वह क्या कोई सेक्रेटरी करते हैं और क्या सरकार इसके लिये कोई कमेटी बनाने की कृपा करेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जी नहीं, कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों के भी कुछ प्रार्थना-पत्र आये थे और उनमें से किसी को स्वीकार किया गया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जी हां। एक विधायक का नाम तो हमारे सामने है---श्री नियाज हुसेन, एम० एल० ए०, फरीदी बिल्डिग, हजरतगंज, लखनऊ, इनको दिया गया।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस समय ८ हजार रु० की फिएट कार ब्लैक हो रही है, तो क्या वह इसकी जांच करायेंगे कि जिन्होंने गाड़ियां लीं उनमें से अधिकांश ने ८ हजार रुपया फी गाड़ी अधिक लेकर ब्लेक में साल भर के अन्दर ही दूसरे को बेंच दी हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

अध्यक्ष महोदय, ऐसी सूचना तो हमारे पास नहीं है।

बरेली की वीरपुर ड्रेन

*५---श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)---

दिनांक ४ फरवरी, १९६४ को तारांकित प्रश्न संख्या ६८--६९ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली की वीरपुर ड्रेन की खुदाई व पक्के कार्य के लिए कब और कितना धन स्वीकृत किया गया था तथा कार्य के स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में बरेली के अधिशासी अभियन्ता ने क्या संस्तुति की थी ?

नोट---तारांकित प्रश्न ५-६ श्री टम्बेश्वरप्रसाद ने पूछे।

सिचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

प्रथम भाग—इस कार्य के लिए १०,०२५ रुपये का तखमीना १ फरवरी, १९६४ को स्वीकृत किया गया था।

द्वितीय भाग—इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता ने इस बात की सिफारिश की थी कि कार्य को विभाग द्वारा किया जाये।

*६—श्री हरीशकुमार गंगवार (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि मार्च, १९६४ तक भूमि अधिग्रहण की बात कही जाने पर भी अभी तक इस सम्बन्ध में कार्यवाही पूरी नहीं की गई जिसके कारण वर्षा से पहले ड्रेन का कार्य पूरा होना असम्भव हो गया है ? यदि हां, तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में विलम्ब के कारण क्या हैं और अब कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री गिरधारीलाल—

आवश्यक भूमि सिंचाई विभाग को २७ जुलाई, १९६४ को प्राप्त हो गई है। इसके पहिले भूमि न प्राप्त हो सकने का कारण यह था कि जो सजरा लैण्ड प्लान पहले बनाया गया था उसको चकबन्दी हो जाने के कारण बदलना आवश्यक हो गया था। फिर भी इस दर्मियान में किसानों को समझा-बुझा कर तथा उनकी सहमति से नाले पर मिट्टी का कार्य लगभग पूरा कर दिया गया है और अब बरसाती पानी नाले से निकल जायेगा। जहां तक पुलों के निर्माण का प्रश्न है यह कार्य अगली शरद् ऋतु तक पूरा हो सकेगा।

इलाहाबाद क्षेत्र में कण्डक्टरों की पदोन्नति

*७—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार का क्या कोई ऐसा विधान है कि बस कन्डक्टरों को सेवा अवधि के अनुसार ही पदोन्नति हो, चाहे वे मैट्रीकुलेट हों या नान-मैट्रिक ? यदि हां, तो इलाहाबाद रीजन में उक्त विधान का पालन क्यों नहीं होता है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

कडक्टरों की विभिन्न श्रेणियां होने के कारण सेवा अवधि के अनुसार पदोन्नति के साधारण नियम कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाइयां अनुभव की गयीं जो विचाराधीन हैं।

श्री गयाप्रसाद—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कठिनाइयां तो और रीजन्स में भी रही होंगी, तो क्या कारण है कि दूसरे रीजन्स में सेवा अवधि के अनुसार पदोन्नति हुई और इलाहाबाद रीजन में इसके अनुसार कार्य नहीं किया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह कठिनाई दूसरे रीजन्स में भी है, इलाहाबाद का तो आपने प्रश्न किया है, देहरादून रीजन में भी यह है और अब सरकार जंचवा रही है कि और रीजन्स में क्या हालत है। सब रीजन्स की सूचना इकट्ठा करके एक यूनिफार्म बात तय हो जायगी। अभी कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है जिसकी वजह से यह गड़बड़ी हुई है।

श्री गयाप्रसाद—

मेरा स्पष्ट सवाल है कि जब पदोन्नति सेवा अवधि के अनुसार हो रही है और इसका पालन दूसरे रीजन्स में हो रहा है तो इलाहाबाद रीजन में इसका पालन क्यों नहीं हुआ ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अध्यक्ष महोदय, यह इलाहाबाद में ही नहीं बल्कि देहरादून में भी हो रहा है, वहां भी यह कठिनाई है। कारण उसका यह है कि जो सरकारी आदेश था उसके सम्बन्ध में वहां के जनरल मैनेजरों को कुछ कनफ्यूजन हुआ।

श्री रघुनाथसिंह—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि अधिकारियों को आदेश समझने में कुछ कन्फ्यूजन हुआ और मूल उत्तर में कहा गया है कि कुछ कठिनाइयां हैं जो विचाराधीन हैं, तो इन दोनों में कौन-सा उत्तर सही है, कठिनाइयां विचाराधीन हैं, या कनफ्यूजन है या दोनों सही हैं?

श्री हरिदत्त काण्डपाल—

'कनफ्यूजन' और 'कठिनाइयां' इन दोनों शब्दों का प्रयोग मैं एक ही मतलब के लिए कर रहा हूं। कठिनाइयां इसलिए हुईं कि कनफ्यूजन हुआ। अब कनफ्यूजन दूर करने की कोशिश की जा रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी को खुद कनफ्यूजन है, ऐसा लगता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

पहले पहल जब यह मुहकमा स्थापित हुआ तब आठवें और नवें पास लोगों को इसमें रखा गया और बाद में यह तरमीम करके टेन्थ पास लोगों को लेना निश्चय किया गया। उस समय दोनों की ड्यूटी और तनख्वाह सब एक थी। बाद में दोनों के लिए अलग-अलग नियम बनाये गये जब कि दोनों की ड्यूटी एक समान थी। इसी से यह दिक्कत पैदा हुई। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो शुरू में ८ और ९ पास कन्डक्टर भर्ती हुए उनमें अन्तर करने की क्या आवश्यकता पड़ी और क्या सरकार फिर विचार करके उनको समान वेतन और समान भत्ता देने का आदेश देगी?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है और माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि नान-मैट्रिक लोगों की भर्ती हुई थी, वह काम एक-सा करते हैं, तो ५३ में गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाल कर उनको एग्जम्पशन दे दिया था जोकि उस कैटेगरी में आते थे—नान-मैट्रिक को। उसी हिसाब से उनको प्रोमोशन के लिए क्वालीफाइड माना जाना चाहिए था। लेकिन वह इन रीजन्स में क्वालीफाइड नहीं पाये गये 'फार दि परपजेज आफ प्रोमोशन' जिसकी वजह से यह दिक्कत आयी है और यही सब बातें विचाराधीन हैं।

चोल्ह-जौनपुर मार्ग पर प्राइवेट बस परमिट देने पर आपत्ति

*८—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यू० पी० सी० ९०३४ प्राइवेट बस को चोल्ह-जौनपुर रूट पर स्पेशल परमिट (यात्रियों को ढोने के लिए) मई, सन् १९६४ में दिया गया है? यदि हां, तो इस बस के मालिक कौन हैं और किस नियम के अन्तर्गत रोडवेज के रूट पर इन्हें परमिट दिया गया है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां। बस के मालिक श्री रेवती रमण मित्तल, होवेट रोड, इलाहाबाद हैं। यह परमिट यू० पी० स्टेट रोड ट्रांस्पोर्ट सर्विसेज (डेवलपमेंट) रूल्स, १९५८ के नियम संख्या ९ (१) (सी) के अधीन दिया गया।

श्री गयाप्रसाद---

क्या परिवहन मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि टेम्पोरेरी परमिट देने का नियम यह होता है कि जब टेम्पोरेरी नेचर वर्क का हो और जौनपुर-चील्हघाट रूट पर बाकायदा पैसेंजर ढोने के लिये जबकि रोडवेज मोटर चलती हैं तो यह टैम्पोरेरी परमिट नहीं दिया जा सकता ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

यह आर० टी० ओ० के डिस्क्रीशन पर है कि वह किसी को दे या नहीं ।

श्री गयाप्रसाद---

आर० टी० ओ० की इच्छा पर नहीं है । नियम यह है कि टेम्पोरेरी नेचर आफवर्क के लिये टेम्पोरेरी परमिट दिया जाता है । जब उस रूट पर परमानेंट रोडवेज की बस चल रही है जो पैसेंजर को ढोती है तो टेम्पोरेरी परमिट देकर किसी को व्यक्तिगत कमाई कराने की दृष्टि से प्राइवेट बस का परमिट नहीं दिया जा सकता ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

इसमें १६ मई, १९६४ को एक पार्टी को जौनपुर-चील्हघाट का परमिट दिया । १८ मई १९६४ को वह पार्टी लौट आई । जहां तक कायदे की बात कही गई इसमें हाई कोर्ट की रूलिंग हो चुकी है, क्योंकि पहले यह होता था कि 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट' जी० एम० या ए० जी० एम० दे तो उसके बाद आर० टी० ओ० परमिट देता था । हाई कोर्ट ने इसको नामंजूर किया कि इसकी जरूरत नहीं है । आर० टी० ओ० स्वतः ही परमिट दे सकते हैं ।

श्री भीखालाल---

हाई कोर्ट की इस प्रकार की रूलिंग हो चुकी है कि जहां पर रोडवेज की बस चलती हों वहां पर प्राइवेट लारी को परमिट दिया जा सकता है, यह मंत्री जी ने कहा । तो क्या मंत्री जी ने उस हाई कोर्ट की रूलिंग के मातहत अपने यहां नियमों में परिवर्तन कर लिया है या नहीं ? अगर नहीं किया है, तो फिर आर० टी० ओ० ने इस नियम का उल्लंघन क्यों किया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

वह तो हाई कोर्ट की रूलिंग के बाद फौरन तब्दील कर दी थी ।

श्री गयाप्रसाद---

जहां तक नियम की बात है नियम यह है कि यदि रोडवेज के पास बस न हो, वह प्रोवाइड न कर सके और नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट दे, तब प्राइवेट बसेज को परमिट दिया जा सकता है । तो क्या इस मामले में ये सब फार्मेलिटी पूरी की गई ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

जहां तक मुझे मालूम है इसमें सारी फार्मेलिटी पूरी की गई हैं ।

श्री गयाप्रसाद---

अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना यह है कि यह परमिट नाजायज तौर पर दिया गया है और कोई फार्मेलिटी पूरी नहीं हुई हैं । और इसके अलावा इस बस के मालिक ने कोई मैरिज पार्टी नहीं बल्कि रेगुलरली एक हफ्ते तक पैसेंजर ढोये हैं । तो क्या मंत्री जी इसका सही पता लगा कर उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

माननीय सदस्य शिकायत लिख कर भेजेंगे तो जांच करा ली जायगी ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि टैम्पोरेरी परमिट ज्यादा से ज्यादा कितनी मुद्दत के लिये दिया जा सकता है और किन-किन हालतों में, और क्या यह भी बतलायेंगे कि जहां पर मुकामी तौर पर बस चल रही हैं उस पर परमिट नहीं दिया जा सकता है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

४ महीने तक एक परमिट दिया जा सकता है।

रोडवेज क्षेत्र, गोरखपुर में अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*९---श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ जनवरी, १९६४ से मई, १९६४ तक इस विभाग के जनरल मैनेजरों के विरुद्ध जनता, विधायक, इस विभाग की यूनियनों द्वारा कितनी शिकायतें माननीय मंत्री को मिली हैं और उनमें क्या-क्या आरोप किन-किन के द्वारा लगाये गये हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

सूचना एकत्र की जा रही है।

*१०---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन भर में १ जनवरी, १९६४ से ३१ मई तक कितनी शिकायतें, शिकायती पुस्तिकाओं में दर्ज हुईं और उन शिकायतों पर कौन-सा कदम उठाया गया ? किन-किन को और क्या-क्या सजायें मिलीं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

सूचना बहुत विस्तृत है, अतः सदस्य महोदय इसे मेरे कक्ष में देखने का कष्ट करें।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शिकायतों की किताब से, जो शिकायतों की बात है, वह पन्ना फाड़ कर उनके पास आई है या टाइप करके आई है ? यदि टाइप में शिकायत आई है, तो माननीय मंत्री जी को हमें देने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष---

वह कह रहे हैं कि लिस्ट बहुत विस्तृत है। आप जाकर देख लें।

श्री भीखालाल---

अध्यक्ष महोदय, मंत्री लोग जिन सदस्यों को अपने कक्ष में उत्तर देखने के लिये बुलाते हैं उनको सरकार ने अपने पक्ष में मिला लिया है। तो आप इस प्रथा को बन्द कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

पूर्व में मैंने जो निर्णय देखे हैं उनके अनुसार इस प्रकार की प्रथा हमारे यहां रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय चन्द्रबली जी ऐसे सदस्यों में नहीं हैं जो मन्त्रियों के कहे में आ जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

मेरा अनुभव यह है कि आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन माननीय सदस्यों को कई बार उनके कमरों में जाकर लौटना पड़ता है। तो प्रार्थना है कि उस आश्वासन के साथ दिन और समय भी दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अगर ऐसा हुआ हो तो मुझे बतलाया जाय, लेकिन दिन और समय निश्चित करना ठीक ही होगा। माननीय चन्द्रबली जी बतला दें कि वे कब जायेंगे ?

श्री चन्द्रबलीसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस राय का नहीं हूं कि मैं उनके कक्ष में उत्तर देखने जाऊं। जब मुझे उत्तर नहीं मिला तो मैं वह देख कर क्या करूंगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप उसे देख लीजियेगा और फिर सवाल कर लीजियेगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मंत्री लोगों के कमरों में जाने पर पता चलता है कि उनकी सदन की भाषा और कमरे की भाष. में भिन्नता है, इसलिये मिनिस्टरों के कमरों में जाना मेरे लिये मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष—

आप जाकर उत्तर देखिये तो।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने उस कुर्सी पर बैठे हुए एक मजाक किया है। मैं समझता हूं कि आप उसे वापस लें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि आप जाकर उत्तर देखिये तो। आप उनकी भाषा समझ लेंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर आपका इरादा हो गया है कि किसी सदस्य का मजाक उड़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहता और न आपका मजाक उड़ाना चाहता हूं और न किसी सदस्य का यहां अनादर होने देना चाहता हूं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न ९ और १०, २८—७—६४ के प्रश्न संख्या ९८ और ९९ को स्थगित करके आये हैं और अभी भी मंत्री जी का उत्तर है कि सूचना एकत्र की जा रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका पूर्ण उत्तर देने के लिये मंत्री जी को कितने समय की आवश्यकता पड़ेगी और यह भी सरकार को पहले बता देना चाहिये कि कितने जी० एम्स० के खिलाफ इस किस्म की शिकायतें थीं और फिर कहते हैं कि विस्तृत सूचना बाद में दी जायगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अगर इस मामले में इतना अधिक समय लिया जायगा तो बड़ी मुश्किल हो जायगी। मैं चाहता हूं कि आप इन सवालों के सम्ब ध में यह बतलाने के लिये मंत्री जी को वाध्य करें कि इसका स्थगन इस समय क्यों किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है। मंत्री जी बतला दें।

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मेरे पास जो सूचना आयी थी उससे मुझे संतोष नहीं था। एक दो के बारे में भ्रम था और इसलिये फिर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये लिखा गया है।

श्री अध्यक्ष—

अब की बार आप उत्तर दे दीजियेगा। अब यह स्थगित नहीं किया जायगा।

[११ अगस्त, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–३—श्री चन्द्रबली सिंह—

[५वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

श्री अनुरुद्ध पाण्डेय, ए० जी० एम०, रोडवेज के खिलाफ जांच

*४—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनुरुद्ध पांडे, ए० जी० एम० रोडवेज का स्थानान्तरण इटावा से वहां के जिलाधीश द्वारा शिकायत किये जाने पर किया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जिलाधीश, इटावा के कहने पर स्थानान्तरण किया गया।

*५—श्री दयाराम शाक्य—

अगर यह सत्य है तो यह बताने की कृपा की जाय कि वह शिकायत किस तरह की थी और उस पर सरकार ने क्या किया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

शिकायत में भ्रष्टाचार आदि के आरोप थे, जिसकी जांच की जा रही है।

*६—श्री दयाराम शाक्य—

क्या परिवहन मन्त्री कृपा कर यह बतायेंगे कि श्री अनुरुद्ध पांडे, ए० जी० एम० रोडवेज को इटावा से बदल कर कानपुर चुन्नीगंज, जहां कि उनके साढ़ू श्री प्रभात शास्त्री, स्टेशन सुपरिन्टेंडेंट हैं, जोकि एक बहुत नजदीकी रिश्ता है, क्यों पोस्ट किया गया, जबकि सरकारी नीति के अनुसार दो नजदीकी रिश्तेदार एक ही महकमे में एक ही जगह पर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर नियुक्त नहीं किये जाने चाहिये ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

पोस्टिंग के समय दोनों का रिश्ता मालूम नहीं था। जैसे ही यह पता चला, श्री शास्त्री का वहां से तबादला कर दिया गया।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जिलाधीश द्वारा शिकायत हुई है, उसकी जांच किस के द्वारा करायी जा रही है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार के प्रश्न के विषय में पहले मंगलवार को भी मैंने निवेदन किया था। इसकी जांच डिप्टी ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर द्वारा करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा भी करायी जा रही है।

श्री दयाराम शाक्य--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने को कृपा करेंगे कि इन के विरुद्ध कितनी शिकायतें हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

शिकायतों की तादाद तो हमारे पास नहीं है, किन्तु वे बहुत से नेचर की हैं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से स्पष्ट हुआ कि शिकायतें बहुत हैं, तो क्या सरकार विचार करेगी कि कोई कमेटी बनायी जाय जो इस बात को छानबीन करे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

कमेटी बनाना वाजिब नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

जिलाधीश की शिकायत पर उनका ट्रांस्फर किया गया। इसका मतलब यह है कि यह प्राइमाफेसी केस जो है, वह तो साबित हुआ लेकिन क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस पर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरण कर देना ही सरकार ने वाजिब समझा और सस्पेंशन करने की कार्यवाही नहीं की ?

श्री अध्यक्ष--

तबादला कर देने से ही प्राइमाफेसी केस साबित नहीं हो जाता।

श्री दयाराम शाक्य--

अधिकांश जो रिपोर्ट उन के विरुद्ध हैं, वह भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ही हैं या और विषय में भी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

भ्रष्टाचार से सम्बन्धित हैं और बहुत-सी इर्रेगुलैरिटीज से भी सम्बन्धित हैं।

श्री रघुवीर --

यह जो अनुरुद्ध पांडे, ए० जी० एम० के खिलाफ डी० एम० ने रिपोर्ट लिखी है, उसको सदन के सामने रखने की कृपा क्या माननीय मन्त्री जी करेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

डी० एम० अभी जांच कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आयी है । उसके शीघ्र आने की प्रतीक्षा है ।

श्री अध्यक्ष--

वह पूछते हैं डी० एम० के कहने पर स्थानान्तरण हुआ है तो उस वक्त तक उन्होंने शिकायत लिख कर भेजा था ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

डी० एम० से इस सम्बन्ध में प्रार्थना की गयी है। उनका कहना है कि जब तक वह यहां मौजूद हैं, तब तक जांच में दखल होगा, इसीलिए उनका तबादला किया गया।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो अनुरुद्ध पांडे हैं, जनरल मैनेजर (श्री स्याल), कानपुर में थे, उस समय वहां इन्स्पेक्टर थे, और उन्होंने उनके खिलाफ अलमिरा की चोरी का इल्जाम सरकार को दिया था, इसके कारण उनको जिलाधीश से इल्जाम लगवा कर तबादला किया गया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां, कुछ लोगों को ऐसा कहते सुना है। लेकिन इसकी कोई लिखित जानकारी नहीं है।

श्री दयाराम शाक्य—

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया कि इनके (श्री अनुरुद्ध पांडेय) खिलाफ भ्रष्टाचार और गबन की शिकायतें हैं और उनके आधार पर उनका ट्रांस्फर हुआ है तो क्या इन शिकायतों के आधार पर इस बात की आवश्यकता है कि इनका सस्पेंशन किया जाय ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो जांच हो रही है और कोई सीरियस बात नहीं साबित हुई है।

*७—९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[४थे मंगलवार के लिए प्रश्न २८—३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१०—१२—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

[५वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*१३—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

[४थे मंगलवार के लिए प्रश्न ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१४–१५—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर), श्री मुन्नालाल (जिला खीरी), श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती), श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी) तथा श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[हटा दिये गये।]

*१६–१७—श्री कल्पनार्थीसिंह—

[४थे मंगलवार के लिए प्रश्न ३२–३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१८–१९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

[४थे मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या ३४–३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

देव प्रयाग-श्रीनगर मार्ग पर बस दुर्घटना

*२०—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बद्रीनाथ के मुख्य मार्ग पर ऋषिकेश से करीब ६ मील दूर गूंजर स्थान पर एक यात्रियों से भरी बस खड्ड में गिर गयी ? क्या यह घटना तारीख २४ या २५ जून, १९६४ की है जिस में २८ व्यक्ति मर गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

बस नं० यू० पी० बाई० ८५७ ऋषिकेश, देवप्रयाग—श्रीनगर मार्ग पर करीब ११ १/२ मील की दूरी पर २५ जून, १९६४ को करीब १ बजे दोपहर दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिस में २८ व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा ८ घायल हुये। दुर्घटना की सूचना पाते ही एक मैजिस्ट्रेट, डी० एस० पी० व मेडिकल आफिसर घटना स्थल पर पहुंच गये। घायलों को तत्काल प्रारम्भिक उपचार के पश्चात ऋषिकेश सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। मैजिस्ट्रट की उपस्थिति में मृत व्यक्तियों का सामान सूची सहित चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड, ऋषिकेश की सुपुर्दगी में दे दिया गया। मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि क्रिया वहीं गंगा के किनारे कर दी गयी। ड्राइवर एवं कन्डक्टर की अंत्येष्टि ऋषिकेश में पोस्ट-मार्टम के पश्चात् की गयी।

श्री ऊधल—

यह जो ऋषिकेश और बद्रीनाथ मार्ग पर पिछले ३-४ वर्षों में दुर्घटनाओं पर दुर्घटनायें होती चली आ रही हैं और सैकड़ों आदमी इस साल, पिछले साल और उसके पिछले साल मर गये, उस के विषय में सरकार क्या कर रही है? सरकार ने एक कमेटी मुकर्रर की थी श्री मुजफ्फर हुसेन की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने कुछ सिफारिशें भी की थीं किन्तु उन सिफारिशों को आज तक नहीं लागू किया गया। फलस्वरूप इस साल भी दुर्घटना हुई और जिसमें २८ आदमी मर गये। तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो-जो भी कदम उठाये जा सकते हैं सरकारी साधनों के अन्तर्गत, वे सभी उठाये जा रहे हैं।

श्री ऊधल—

क्या कमेटी ने सरकार को यह सुझाव दिया था कि इस रूट पर छोटी बसों को चलाया जाय। प्राइवेट आपरेटर्स बड़ी-बड़ी बसों को चलाते हैं और वहां की सड़कें सकरी होने के कारण वे खड्ड में गिर पड़ती हैं और यह दुर्घटनायें आये दिन होती हैं। क्या सरकार को इस की जानकारी है और यदि है तो सरकार ने क्या कदम उठाये इस ओर?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जिस कमेटी का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं—चेयरमैन तो अध्यक्ष महोदय, आप ही थे। आपने स्वयं देखा होगा कि वहां पर जो गाड़ियां चलती हैं वह दूसरे ही टाइप की होती है।

श्री बृजबिहारी—

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि आमतौर से यह मांग की जा रही है कि उस रूट का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और सरकारी बसें चलायी जायं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इस प्रपोजल पर विचार किया जा रहा है।

श्री रघुवीर—

जो २८ व्यक्ति इस दुर्घटना में मरे उनका सामान सम्बन्धित लोगों के घरों तक पहुंचाया गया या नहीं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

एक मैजिस्ट्रेट के सामने वहां का सब सामान म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के सुपुर्द कर दिया गया और जिनका सामान होगा, वह उन के पास पहुंच गया होगा।

श्री ऊदल---

श्रीमन्, यह हमारे प्रदेश के लिए बड़े शर्म की बात है कि दुर्घटनायें होती हैं, क्योंकि इस रूट पर ज्यादातर महाराष्ट्र, मद्रास तथा और कई जगह के यात्री चलते हैं। तो क्या सरकार जल्दी से जल्दी इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण करेगी और छोटी बसें चलायेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

बसें तो हमारी या माननीय ऊदल जी की राय से नहीं चलती हैं, वह तो जो एक्सपर्ट राय देते हैं उनकी राय से चलती हैं।

*२१---श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)---

[हटा दिया गया।]

*२२---२४---श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)---

[५वें मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या १-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बाराबंकी जिले में बिजली

*२५---श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विद्युतीकरण परियोजना के अन्तर्गत तृतीय योजना काल में बाराबंकी जिले के किन-किन स्थानों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

उन्हीं स्थानों का विद्युतीकरण किया जा रहा है जिनके लिए १,००० जन-संख्या पर १ १/२ मील लम्बी एच० टी० लाइन का निर्माण करना पड़े। सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है और जिन स्थानों का विद्युतीकरण उपर्युक्त मापदण्ड के अनुसार सम्भव होगा उनका विद्युतीकरण किया जायगा। अभी तक ६ स्थानों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और १३ स्थानों को विद्युतीकरण करने के लिए चुना जा चुका है। इनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५६ पर)

*२६---श्री गिरजाप्रसाद---

१९६४-६५ वर्ष में किन-किन स्थानों का विद्युतीकरण होने का और इस विद्युतीकरण पर कितनी धनराशि के व्यय का अनुमान है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

१९६४-६५ में १,५०० स्थानों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है। स्थानों को विद्युतीकरण के लिए चुनने के लिए सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। चालू वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में Rural Electrification के लिए २३० लाख रुपये की व्यवस्था प्लान में की गयी है।

श्री गिरजाप्रसाद---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर विद्युतीकरण के लिए गांव लिये जाते हैं ? १,००० की आबादी के बहुत गांव हैं।

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

१,००० की आबादी के साथ डेढ़ मील की लाइन भी मुख्य चीज है।

श्री गिरजाप्रसाद---

बाराबंकी जिले में कितने गांवों को बिजली देने जा रहे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यह आधार तो पहले निवेदन कर चुका हूं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

सिधौर की लाइन पर खम्बे डाले गये और वे हटाये क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

नोटिस की आवश्यकता है।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पिछड़े इलाकों को भी बिजली मिले ?

डा० रामनारायण पाण्डेय---

जहां की पर्याप्त आबादी होगी वहां दी जायगी।

श्री गिरजाप्रसाद---

यह सर्वेक्षण का कार्य कब तक समाप्त हो जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

आज डेढ़ मील का टारगेट है, इस से कम होता चला जायगा, तो सर्वेक्षण का कार्य तो चलता ही रहेगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या बिजली का काम ढीला इसलिए चल रहा है कि सरकार के पास ट्रांस्फार्मर्स नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या वह उन्हें यहां बनवाने और बाहर से मंगवाने का प्रबन्ध करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

ढीला तो नहीं चल रहा है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

जिन गांवों की आबादी १५ या १८ हजार तक की है और वे टाउन एरिया की किस्म के हैं वहां सरकार १ या सवा मील का रेस्ट्रिक्शन हटा कर या कम कर के बिजली देने का प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

अगर १८ मील रहा तो अवश्य ही १८ और ९, २७ मील हो गया सब।

श्री श्रीराम---

क्या मन्त्री जी को सूचना है कि किसी गांव को ६ मील लाइन ले जाकर बिजली दी गयी है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

नोटिस की आवश्यकता है।

*२७—२८—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

[४थे मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या ३६—३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२९—श्री उग्रसेन—

[४थे मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बाराबंकी जिले में अध्यापकों का चुनाव भत्ता

*३०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि बाराबंकी जिले के अध्यापकों को सामान्य तथा पंचायत निर्वाचन काल का भत्ता अभी तक नहीं मिला है जिससे उनमें प्रशासन के प्रति घोर असन्तोष है? यदि हां, तो क्यों?

वित्त उप-मन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—

गुजश्ता तीसरे आम चुनाव काल का सफर और दैनिक भत्ता सभी अध्यापकों को भुगतान किया जा चुका है, सिर्फ २४ अध्यापकों को भुगतान करना बाकी है क्योंकि उनके बिल एकाउन्टेन्ट जनरल, यू० पी०, से अभी प्री-आडिट होकर वापस नहीं मिले हैं।

जहां तक पंचायत के चुनाव का सवाल है, उसमें कुल १,३२२ अध्यापकों की सेवायें ली गयी थीं, जिन में से ३२० अध्यापकों के बिल भुगतान किये जा चुके हैं और ४८० अध्यापकों के बिल एक वर्ष से ज्यादा समय के होने के कारण एकाउन्टेंट जनरल को प्री-आडिट के लिए भेजे गये हैं जो अभी वापस नहीं मिले हैं। बाकी ५२२ अध्यापकों के बिल ऐसे हैं जो अभी तक उनसे जरूरी गल्तियों के सुधार के बाद वापस नहीं मिले हैं। जहां तक शासन के प्रति घोर असन्तोष का सवाल है, इस सिलसिले में ऐसी कोई इत्तिला नहीं मिली है।

*३१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार उक्त भत्ता अध्यापकों को दिलाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जयराम वर्मा—

जिन अध्यापकों की सेवायें ली गई थी वह सभी कायदे के मुताबिक मार्ग तथा दैनिक भत्ता (टी० ए०, डी० ए०) पाने के हकदार हैं। इसलिये उनको भत्ता न दिये जाने का सवाल ही नहीं उठता। एकाउन्टेन्ट जनरल और संबंधित अध्यापकों से बिल वसूल होते ही उनका भुगतान कर दिया जायगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

जनरल चुनाव के २४ और पंचायत चुनाव के ४८० अध्यापकों के बिल्स ऐ० जी० के यहां पड़े हुये हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इसका कारण बतलावेंगे और उनका जल्दी भुगतान कराने की कृपा करेंगे?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

ए० जी० हमारे काबू के आदमी तो हैं नहीं, वह अपने रूटीन से करके भेजेंगे।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

मेरी सूचना है कि ३५२ बिल जिला परिषद् या निर्वाचन कार्यालय में आकर पड़े हुये हैं। तो क्या मंत्री जी उन्हें मंगा कर उनका भत्ता दिलाने की कृपा करेंगे?

श्री जयराम वर्मा—

जिला परिषद्, बाराबंकी के द्वारा ही गलतियों के सुधार के लिये वापिस किये गये थे । अगर वापिस आ गये हैं तो उन पर कार्यवाही होगी ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

ऐ० जी० के यहां ये बिल किस तारीख को भेजे गये हैं, कितने दिन रखने का नियम है और वे बिल कब तक आने की आशा है ?

श्री सैयद अली जहीर—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

इलैक्शन का काम अर्जेन्ट होता है और फाइनेंशियल रूल्स में भी इलैक्शन के अर्जेन्ट काम के लिये अलग से व्यवस्था की गयी है । तो माननीय मंत्री जी को क्या दिक्कत है कि उसके मुताबिक उन्होंने जल्दी पेमेंट नहीं कराया ?

श्री सैयद अली जहीर—

उसके लिये कायदे बने हुये हैं । एक साल से पहले जो बिल आता है अगर वह ठीक होता है तो उसका पेमेंट हो जाता है । अगर बिल में कोई खराबी होती है या बिल वक्त से नहीं दिया और एक साल से ज्यादा गुजर गया तो उसे प्री-आडिट के लिये ए० जी० के यहां जाना होता है। इसलिये देर हो जाती है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

पंचायत चुनावों को सम्पन्न करने के लिये १,३०२ अध्यापकों को चुनाव कार्य पर लगाया गया, जिनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनको अभी तक भत्ते का भुगतान नहीं हुआ है, इसको देखते हुये क्या मंत्री जी इस स्थिति में हैं कि यह पेमेंट कब तक कर दिया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर—

हमारी कोशिश तो यही है कि जल्दी से जल्दी पेमेंट हो जाय लेकिन बीच में कुछ फाईनेंशियल डिफीकल्टीज आ जाती हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यह सही बात है कि जो आफिसर्स हैं उनको तो फौरन भुगतान हो जाता है लेकिन पंचायत सेक्रेटरी या लेखपाल जैसे ग्राम कार्य कर्त्ताओं को उनके पैसे का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है । क्या सरकार ऐसा प्रबंध करेगी कि उनका बिल सरकार बना कर जल्दी से पेमेंट करा दिया करे ? भुगतान को जल्दी कराने के लिये क्या मंत्री जी कोई नयी तरकीब सोच रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

यह बहुत मुश्किल बात है कि सरकार बिल बना दे । यहां मेम्बरों के बिल भी सरकार नहीं बनाती है । बिल स्वयं ही बनाने पड़ते हैं और अगर उनमें देर हो जाती है तो प्री-आडिट के लिये जाता है । यही दिक्कत सब जगह है । वैसे कोशिश हमारी यही होती है कि जल्दी हो जाय।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

अध्यापकों ने बिल पहले ही दे दिये थे, दफ्तर में देर होने की जिम्मेदारी किस पर है ?

श्री संयद अली जहीर—

अगर किसी केस में ऐसा हो कि बिल सही आया हो और डिपार्टमेंट में ही देर हुई हो, तब तो उस आफिसर की जिम्मेदारी है, उसको देखा जा सकता है लेकिन अगर बिल ठीक नहीं किया तब तो मजबरी है ।

विधायकों को माइलेज कूपन

*३२—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह विधायकों को रेलवे कूपन कब तक दे सकेगी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

विधायकों को माइलेज कूपन, तत्संबंधी नियम, जो इस समय भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के परामर्श से विचाराधीन है, बन जाने के पश्चात् दिये जायेंगे ।

श्री विजयसिंह—

यह कब तक हो जायगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सरकार तो काफी कोशिश कर रही है कि जल्दी से यह नियम बन जाये । यहां से भारत सरकार को ड्राफ्ट भी २० जुलाई को भेज दिया गया है । आशा है बहुत जल्दी ही मंजूरी आ जायगी ।

*३३—३५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३६-३८—श्री लखीसिंह—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३९—४१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

रोडवेज क्षेत्र, इलाहाबाद में क्लर्कों की परीक्षा

१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में क्लर्कों की नियुक्ति हेतु १८ अगस्त, १९६३ को लिखित परीक्षा ली गई थी ? यदि हां, तो कितने लोग परीक्षा में बैठे थे ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

जी हां । ७६९ अभ्यार्थी परीक्षा में बैठे थे ।

२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या यह सही है कि परीक्षा के उपरान्त जो लोग लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुये उनको साक्षात्कार हेतु दिनांक १६ ३१ अक्तूबर, १९६३ को बुलाया गया था ? यदि हां, तो उसमें कितने लोगों को नौकरी दी गई ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३२ श्री अब्दुल मायर ने पूछा ।

श्री मुजफ्फर हसन—

साक्षात्कार (Interview) ३०/३१ अक्तूबर, १९६३ को किया गया था। रीजनल सेलेक्शन कमेटी ने अभी इसका फल घोषित नहीं किया है।

३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[हटा दिया गया।]

४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[४थे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

५—६—श्री लखीसिंह—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

मथुरा में चुनाव इन्स्पेक्टर के खिलाफ शिकायतें

७—श्री लखीसिंह तथा श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा में चुनाव इंस्पेक्टर को तीन साल से अधिक हो गये हैं ? यदि हां, तो इनका तबादला क्यों नहीं किया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—

जी हां। उनके तबादले के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

८—श्री लखीसिंह तथा श्री शिवचरण—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि चुनाव इंस्पेक्टर मथुरा के खिलाफ हाल में कितने शिकायती-पत्र सरकार को मिले कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है और इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—

उक्त चुनाव इंस्पेक्टर मथुरा के खिलाफ हाल में चार शिकायती पत्र मिले। उन पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

९-१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[४थे मंगलवार के लिये प्रश्न ५-६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

११—१३—श्री दयाराम शाक्य—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

रोडवेज क्षेत्र, गोरखपुर में बस स्टेशनों की मरम्मत

१४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बस्ती तथा देवरिया स्टेशनों की इमारतों पर वर्ष १९६४ में मरम्मत तथा सफाई में अलग-अलग कितना खर्च हुआ तथा खर्च के वाउचरों को किसने वेरीफाई किया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

कथित वर्ष में बस्ती बस स्टेशन पर २,१५८ रु० ३६ पैसे खर्च हुये। खर्च के वाउचरों को ओवरसीयर व सीनियर स्टेशन इन्चार्ज ने वेरीफाई किया व सहायक प्रबन्धक ने काउन्टरसाइन किया।

इसी वर्ष में देवरिया बस-स्टेशन पर ८११ रु० २४ पैसे खर्च हुये। खर्च के वाउचरों को सीनियर स्टेशन इन्चार्ज, देवरिया, ने वेरीफाई किया तथा सहायक प्रधान प्रबन्धक, गोरखपर, ने काउन्टरसाइन किया।

१५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या परिवहन मंत्री जांच कर बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन के कौड़ीराम बस स्टेशन की इमारत की मरम्मत सन् १९६४ साल में हुई है? यदि हां, तो कुल कितना खर्चा हुआ है और इस साल इमारत किस दशा में है?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। वर्ष १९६४ में इस बस स्टेशन की मरम्मत हुई है, जिसमें ११५ रु० ५० पैसे खर्च हुये हैं। इमारत इस समय संतोषजनक स्थिति में है।

१६—१८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

रोडवेज क्षेत्र, कानपुर में रात्रि भत्ता

१९—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रीजन के ड्राइवर्स तथा कन्डक्टर्स को नाइट माइलेज (night milage) कब से नहीं दिया गया? उसके अब तक न दिये जाने का क्या कारण है, तथा वह कब तक अदा कर दिया जायगा?

श्री मुजफ्फर हसन—

कुछ व्यक्तियों का नाइट अलाउन्स दिसम्बर, १९६३ से बाकी है। इसका मुख्य कारण कुछ बिलों का खोया जाना तथा बिल बनाने में देरी इत्यादि है, जिसके लिये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अवशेष अलाउन्स का भुगतान इस मास के अन्त तक पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

हाहानाला बांध योजना

२०—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री दिनांक १७ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३–४४ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि इर्रीगेशन रिसर्च सर्किल में किस योजना की जांच कब से हो रही है और कब तक समाप्त हो जायेगी?

श्री गिरधारी लाल—

हाहा नाला बांध को मील १–३ १/२ से मील ४–७ तक रिटायर करने के विकल्प (alternative) प्रस्ताव की जांच के बारे में इर्रीगेशन रिसर्च सर्किल को फरवरी, १९६४ के द्वितीय सप्ताह में लिखा गया और अप्रैल, १९६४ के प्रथम सप्ताह में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी।

२१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरसात आने के पहले क्या यह योजना कार्यान्वित हो जायगी?

श्री गिरधारीलाल---

इर्रीगेशन रिसर्च सर्किल ने दो पक्के ठोकर (permanent spurs) बनाने की राय दी जिसकी लागत लगभग ३० लाख रुपये आती है। इस प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है बल्कि इसके स्थान पर बल्लियों के दो परमिएबल (permeable) स्पर बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है।

गांव ऊंचे करना तथा बाढ़ शिविर

२२---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६४-६५ में प्रदेश के किन-किन जिलों के कितने-कितने ग्राम ऊंचे किये जायंगे और किन-किन स्थानों पर बाढ़ शिविर बनाने की योजना है ?

श्री गिरधारी लाल---

वर्ष १९६४-६५ में जिन-जिन जिलों में जितने-जितने ग्राम ऊंचे किये जाने तथा जिन-जिन स्थानों पर बाढ़ शिविर बनाये जाने की योजना है उसका ब्योरा संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५७ पर)

गोरखपुर क्षेत्र में रोडवेज इमारतों की मरम्मत तथा जनरल मैनेजर, श्री स्याल, के विरुद्ध जांच

२३---श्री उग्रसेन---

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज गोरखपुर क्षेत्र के समस्त सरकारी (रोडवेज) इमारतों के सालाना मरम्मत आदि के लिये जो रुपया स्टेशन इंचार्जों को दिया जाता रहा है, वह १९६२-६३ में क्यों नहीं दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन---

जिन-जिन बस स्टेशनों पर मरम्मत की जरूरत थी वहां रुपया दिया गया।

२४---श्री उग्रसेन---

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपरोक्त कार्यों के लिये निर्धारित रुपया गत १९६२-६३ में बगैर वैरीफिकेशन के ही ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो उस रुपये की कुल धनराशि क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन---

बगैर वेरीफिकेशन कोई भी धनराशि ठेकेदार को भुगतान नहीं की गयी। शेष प्रश्न नहीं उठता।

२५---श्री उग्रसेन---

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज, कानपुर क्षेत्र के एक सहायक जनरल मैनेजर ने गोरखपुर क्षेत्र के वर्तमान जनरल मैनेजर श्री स्याल के विरुद्ध कोई रिपोर्ट चोरी की कर्नलगंज थाना, कानपुर में की है ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट में किन-किन वस्तुओं की चोरी का जिक्र किया गया है ? क्या वे रोडवेज की संपत्ति हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी हां। ७ छत वाले पंखों और एक स्टील आलमारी की चोरी की रिपोर्ट उन्होंने की थी। वे रोडवेज की सम्पत्ति हैं। पुलिस जांच कर रही है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन *को सदन की मेज पर रखना

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या यू० ओ० १४१०/१-क--१५२३-डी-६०, दिनांक ४ जुलाई, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५१ की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक-सेवा-आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४ में प्रख्यापित संशोधन*

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग...

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

लोक सेवा आयोग के नियमों के सम्बन्ध में जो मद ३ ये पढ़ रहे हैं, इस पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। लोक सेवा आयोग के इन नियमों का जहां तक सम्बन्ध है, हमारे संविधान की धारा ३२० के खंड (५) को अगर आप निकाल कर देखें, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि १५ दिन तक यह टेबिल पर रखा रहेगा। इस पर लेजिस्लेचर के माननीय सदस्य कोई संशोधन पेश करें या उसमें कोई सुझाव दें तो उस पर बहस करने की आज्ञा होगी। तो इसके लिये १५ दिन के अन्दर ही कोई तारीख निर्धारित करनी चाहिये थी और उसकी कापी माननीय सदस्यों को मिलनी चाहिये कि वे उस पर अपने संशोधन पेश करें।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आज मेज पर रखा जा रहा है और रखा रहेगा। फिर इसके बाद आप जो भी आपत्ति करना चाहेंगे कर सकेंगे। अभी तो यह आपके समक्ष मेज पर रखा जा रहा है।

श्री बंशीधर पांडेय--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४ में नियुक्ति विभाग की विज्ञप्ति संख्या ११०५/२-बी-१५१(१)-६३, दिनांक ७ मई, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद ३२० के खंड (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

वित्त विभाग की विज्ञप्ति में प्रख्यापित संशोधन*

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विज्ञप्ति संख्या एस-टी-१३६५/१०-९९०-५६, दिनांक १ अप्रैल, १९६० की अनुसूची में, वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति

---

*छापे नहीं गये।

[श्री जयराम वर्मा]—

संख्या एस-टी-१८८१/१०-१००२(५२)-५९, दिनांक १२ जून, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन*

कृषि उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा नियमावली, १९६२ में नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या १३५-म-नि/१८-(संशो०-१)-११-ग-१-कार्प-(४)-५७, दिनांक २ जुलाई, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के निवास स्थान संबंधी नियमावली, १९६३*

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से राज्य सम्पत्ति विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम-३९८४/-रा० स० वि०-१७२-५५, दिनांक ८ जुलाई, १९६४ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली, १९६३ को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ की धारा ५ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन*

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम-वी०-आर—ए-एम-६०/१२७६-टी-एम-३०-ख, दिनांक २५ जून, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम०-बी-आर०-ए-एम-५८/३५-टी०एम०-३०-ख, दिनांक २५ जून, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० बी०-आर-ए-एम-५९-४००-टी-एम-३०-ख, दिनांक २५ जून, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट १९३९ की धारा १३३, की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापे नहीं गये।

दियासलाई के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना श्री केशरी प्रसाद पांडेय को नियम ५२ के अन्तर्गत आई है । यह दियासलाई ६ नये पैसे के स्थान पर दस नये पैसे पर बिकने लगी है, जो मूल्य उस पर लिखा है उस पर नहीं बिक रही है इस विषय में है, शायद खाद्य मंत्री जी इस पर अभी प्रकाश डाल सकें । अगर अभी बता सकें तो बतायें या फिर १७ तारीख को वक्तव्य दे दें ।

रसद मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)--

ठीक है, १७ को दे देंगे ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

एक यह श्री चन्द्रबली सिंह की बाढ़ के सम्बन्ध में बड़ी लम्बी शिकायत है । इसको मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के पास भेज दूंगा वक्तव्य के लिये । इसी प्रकार एक माननीय काशीनाथ मिश्र का नहर के बारे में है जिससे वह कहते हैं कि खतरा उत्पन्न हो गया है और ११ वें और १२ वें मील के बीच में बांध टूट जाने का खतरा है, इसको भी मैं वक्तव्य के लिये भेज रहा हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, यह जिले का बड़ा मशहूर बांध है जिसको यह सरकार १५ साल में बनवा सकी है ।

श्री अध्यक्ष--

इसीलिये इसको मैं भेज तो रहा हूं ।

विधायक, श्री अवधेशकुमार सिनहा पर हुए घातक हमले के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

अध्यक्ष महोदय, (१) श्री अवधेशकुमार सिनहा, सदस्य विधान सभा, पर ५-८-६४ को लगभग ७ बजे शाम को सीतापुर में सरायन नदी के पुल पर ४ आदमियों द्वारा हमला किया गया तथा उन्हें किसी तेज धारवाली वस्तु से घायल किया गया। उस समय श्री सिनहा साईकिल पर सिटी स्टेशन की तरफ से नये शहर की तरफ जा रहे थे । घटनास्थल पर उसी समय होम गार्ड्स के ३ सदस्य पहुंच गये और उनमें से एक, श्री गोविन्द लाल ने श्री सिन्हा को बचाने का प्रयत्न किया और इस प्रयत्न में उनके भी हाथ में चोट आई । श्री सिनहा को स्वयं ११ चोटें आयीं और बांये हाथ की छोटी उंगली कट गयी ।

२--इस घटना की रिपोर्ट श्री गोविन्दलाल ने थाने में लगभग साढ़े सात बजे रात को लिखायी और घटनास्थल से ही अपने साथियों द्वारा श्री सिन्हा को अस्पताल भिजवा दिया ।

३--घटना की सूचना मिलते ही डिप्टी कमिश्नर तथा पुलिस अधीक्षक दोनों अस्पताल पहुंचे । श्री सिन्हा का बयान निजाई (dying declaration) हाकिम परगना, सदर द्वारा करीब पौने नौ बजे लिखा गया । अपने इस बयान में श्री सिन्हा ने चार आदमियों का उल्लेख किया है । उनके नाम सर्वश्री सुभाषचन्द्र, विद्या, सहदेव तथा राम प्रसाद हैं । श्री सिनहा का बयान धारा १६१ भा० दं० वि०, स० आर० पो० सी० के अन्तर्गत लिखा गया ।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

४--तुरन्त ही अभियुक्तों को पकड़ने के लिये पुलिस की पार्टियां भेजी गयीं, परन्तु अभी तक कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो सका है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे भाग गये हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८७-८८ की कार्यवाही भी हो चुकी है। तीन अभियुक्तों की सम्पत्ति की कुर्की की जा चुकी है और चौथे अभियुक्त की सम्पत्ति की कुर्की के लिये एक थानेदार को हरदोई भेज दिया गया है। इस मामले की जांच श्री एस० के० सक्सेना, उप-पुलिस अधीक्षक, कर रहे हैं। श्री सिन्हा की हालत इस समय सन्तोषजनक है तथा उन्हें खतरे से बाहर घोषित कर दिया गया है।

५--प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सिनहा ने जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक से कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि उनका जीवन खतरे में है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसके पहले भी माननीय सदस्य ने कई बार पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को इस बात की सूचना दी थी कि उनका जीवन खतरे में है और इसके पहले भी उन पर कई दफा हमला हुआ था? क्या इसकी जानकारी सरकार को है?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

अभी मंत्री जी ने कहा कि जो अभियुक्त हैं वह फरार हैं और उनकी कुर्की की गयी, तो कुर्की में क्या-क्या सामान कुर्क किया गया?

श्री अध्यक्ष--

यह जरूरी नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

मंत्री जी बतायेंगे कि माननीय अवधेश सिनहा ने इस सदन में एक बार ५, ६ महीने पहले कहा था कि मेरी जान को खतरा है और कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं? यह शिकायत हुई थी और उसके बाद गृह मंत्री से मिल कर उन्होंने कहा था कि मेरे प्रोटेक्शन के लिये उचित व्यवस्था की जाय? यदि हां, तो सरकार ने क्या किया?

श्री हरगोविन्दसिंह--

उन्होंने मुझसे मिल कर कभी ऐसी शिकायत नहीं की। लेकिन जो सूचना हमारे पास है उससे संभव है, उनको यह खतरा हो सकता था।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, माननीय लखी सिंह ने बड़ा परटिनेंट प्रश्न किया था तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि सिर्फ खाना पूरी करने के लिये कुर्की की गयी है? मंत्री जी बतायेंगे कि जो कुर्की की गयी है ३ अभियुक्तों की वह केवल खानापुरी करने के लिये की गयी है या वास्तविक रूप में उनकी कुर्की करके उनकी जायदाद जब्त की गयी है?

श्री हरगोविन्दसिंह--

दोनों में क्या अन्तर होता है, किस प्रकार से खानापुरी वाली....

श्री अध्यक्ष--

उनका मतलब यह है कि वस्तुतः मौके पर कुर्की करायी गयी या केवल रिपोर्ट मात्र है और कोई कार्यवाही नहीं हुई । इंसिनुएशन यह है कि नहीं हुई ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

जब रिपोर्ट कर दी जाती है कि कुर्की करायी गयी तो जब तक कोई यह न कहे कि नहीं की गयी तब तक यही माना जाता है कि कुर्की हो गयी ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--

मंत्री जी बतायेंगे कि जिन ४ आदमियों के नाम रिपोर्ट में है वह किस राजनीतिक संस्था के हैं ?

श्री अध्यक्ष--

राजनीतिक संस्था से क्या मतलब है ? आदमी जब मारता है तो चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, कांग्रेसी हो या जनसंघी, वह तो मुलजिम है ही ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

मंत्री जी बतायेंगे कि जो हमला किया गया इसके पहले भी इस तरह के हमले के बारे में मैं उस समय खुद चीफ मिनिस्टर, श्री गुप्ता जी से मिला था और माननीय अवधेश सिनहा मेरे साथ मिलने गये थे और उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी राजनीतिक स्थिति पैदा हो गयी है जिससे लोग मेरे ऊपर हमला करना चाहते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो इत्तिला हमले के संबंध में मिली है उसके बारे में कोई आपसे मिला है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मैंने कहा कि जो सूचना मेरे पास है उससे यह साफ है कि अवधेश जी को यह आशंका होना स्वाभाविक था क्योंकि कुछ समय पहले कचहरी में जो कत्ल हुआ था, उसमें उनका नाम था । सी० आई० डी० की रिपोर्ट है कि कातिल जो था उसको ये पनाह देते हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो होम गार्ड उनके साथ थे और श्री अवधेश के साथ-साथ गये थे और रिपोर्ट लिखायी, तो क्या एफ० आई० आर० में किसी का नाम नहीं लिखा गया ?

श्री बंशीधर पाँडेय--

यह सही है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

क्या माननीय मंत्री जी इसकी सी० आई० डी० द्वारा जांच करवायेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

इसमें सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की आवश्यकता अभी नहीं है क्योंकि पुलिस उसकी इन्क्वायरी कर रही है, तो उसको देखने के बाद ही इस बात का फैसला किया जा सकता है कि इसकी आवश्यकता होगी अथवा नहीं ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कुछ दिन पहले कचहरी में एक कत्ल हुआ था जिसमें डा० अवधेश का नाम भी बताया है, तो उस मुकदमे के चलते उनको आवश्यकता नहीं थी कि उनकी जान को खतरा है ? इसकी सूचना माननीय उग्रसेन आदि मा० सदस्यों ने मा० मुख्य मंत्री को दी थी जबकि श्री गुप्ता जी मुख्य मंत्री थे। जब इतनी बातें चल रही थीं तो पुलिस विभाग की तरफ से उनको सुरक्षा प्रदान करने की कौन-सी कार्रवाई की गयी थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

वे स्वयं अपने को सुरक्षित समझते थे।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, यह कोई जवाब नहीं हुआ। मुख्य मंत्री के यहां वे लोग गये थे और उन्होंने.....

श्री अध्यक्ष---

उनका मतलब यह है कि हमारी तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वे अपने आप ही इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझते थे।

श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)---

जो सी० आई० डी० की रिपोर्ट मिली है तो क्या उस कांड के होने के बाद मिली है या पहले ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

वह जो कचहरी में कत्ल हुआ था उसकी सी० आई० डी० इन्क्वायरी कर रही है। उसमें सी० आई० डी० ने ऐसा समझा था कि जो कातिल है उसको उनसे पनाह मिल रही है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

क्या मनानीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो एफ० आई० आर० लिखायी गयी, जो हमलावर हैं उनके खिलाफ उसमें क्या कारण दिखाये गये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

एफ० आई० आर० में किसी का नाम नहीं लिखा है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

जो एफ० आई० आर० पुलिस में दर्ज है उसमें कत्ल करने के क्या-क्या कारण दिये हुये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

उसमें उन्होंने लिखा है कि ४ आदमियों ने उन पर हमला किया। उसमें नाम नहीं लिखे हुये हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं अपने बयान में नाम लिखाये हैं। एफ० आई० आर० में कोई नाम नहीं लिखा हुआ है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

वे अभियुक्त अभी फरार हैं। ऐसा हो सकता है कि वे फिर हमला कर दें, तो अब उनकी जान की सुरक्षा के लिए क्या कोई प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

इस वक्त वह बड़े सुरक्षित ढंग से अस्पताल में हैं ।

कानपुर में गैस सिलेन्डर फटने से क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

अब तक जो सूचना इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई है वह इस प्रकार है कि दिनांक ९ अगस्त, १९६४ ई० को क्लोरीन गैस का एक सिलेन्डर जिस समय वह एक ट्रक से उतारा जा रहा था, फट गया । ट्रक न्यू काश्मीर ऐण्ड ओरियेन्टल ट्रांस्पोर्ट (प्राइवेट) लि०, बिरहाना रोड, थाना कलक्टरगंज, कानपुर का था । क्षेत्र के ११८ व्यक्ति गैस से प्रभावित हुये थे और उनकी चिकित्सा की गयी थी । कुछ व्यक्ति तो अचेत हो गये थे । कोई व्यक्ति अभी तक मरा नहीं है । परिस्थिति पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तुरन्त नियन्त्रण कर लिया था । पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सिलेन्डर को तुरन्त गंगा पुल के उस पार पहुंचा दिया था । पुलिस द्वारा केस क्राइम नं० ५३३, धारा ३३६/२८४/२९० भारतीय दण्ड संहिता में एक रिपोर्ट आठ व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कर ली गयी है । उनमें से चार व्यक्ति गिरफ्तार भी हो चुके हैं । इन्सपेक्टर आफ एक्सप्लोसिन, आगरा को दुर्घटना की सूचना तार द्वारा दे दी गयी है । यह सत्य है कि इसी प्रकार की एक दुर्घटना लगभग दो वर्ष पूर्व कानपुर में हुई थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

दो वर्ष पहिले जो दुर्घटना हुई थी उसके सम्बन्ध में भारत सरकार के बिस्फोटक पदार्थ के विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया था कि इतनी घनी आबादी में यह कम्पनी नहीं होनी चाहिए तो फिर प्रान्तीय सरकार ने कम्पनी के खिलाफ कौन-सी कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

कानपुर नगरमहापालिका इस सम्बन्ध में विचार कर रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

यह महापालिका की बात नहीं है । इसके लिए सरकार जिम्मेदार है । जब भारत सरकार ने यह आदेश दिये कि कम्पनी को इतनी घनी आबादी में विस्फोटक पदार्थ नहीं ले जाने चाहिए तो सरकार की ओर से उसको रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गयी या नहीं की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह क्षेत्र नगरमहापालिका के अन्तर्गत है । महापालिका मैंने कहा, उस पर विचार कर रही है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

गत दो वर्ष पूर्व इसी जगह पर दुर्घटना हो चुकी है और दुबारा यह घटना हुई है जिससे हजारों आदमियों की जिन्दगी खतरे में पड़ गयी है, तो क्या भविष्य के लिए ऐसी व्यवस्था की जायगी कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह मैंने उत्तर दिया कि महापालिका इस पर विचार कर रही है कि ट्रांस्पोर्ट कम्पनियां इस क्षेत्र से दूसरी जगह हटा दी जायं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

पिछले वर्ष कानपुर महापालिका में एक ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया गया था कि जितनी ट्रांस्पोर्ट कम्पनियां हैं वे जल्दी से जल्दी हटा दी जायं, तो ऐसा क्या कारण है कि यह जो ट्रांस्पोर्ट कम्पनी है, जिसे बाबू पुरवा में १,८०० गज जमीन भी दी जा चुकी है, इसने इस घनी बस्ती से अभी तक अपना दफ्तर नहीं हटाया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कानपुर महापालिका ने क्या व्यवस्था की, इसे मैं नहीं जानता। लेकिन यह उन्हीं के अधिकार की बात है कि वे यहां से हटा कर दूसरी जगह रखें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

यह देखते हुए कि क्लोरीन एक जहरीली गैस है और पिछले दो वर्ष पहले हजारों लोग प्रभावित हो चुके हैं और ९ तारीख को ११८ व्यक्ति बतलाये गये कि प्रभावित हुये जब कि मैंने अस्पताल में ३००–४०० व्यक्ति खतरे में पड़े हुए देखे तो क्या सरकार इस बात का प्रबन्ध करेगी कि जहरीली गैस का जो सामान होता है उसे घनी बस्ती में न लाया जाय, शहर के बाहर उसकी लोडिंग और अनलोडिंग की जाय और ब्लीचिंग के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल होता है तो कम्पनियां वहां से उसको ले आया करें ?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

श्रीमन्, मैं इसकी पूरी जांच करके देखूंगी कि किस कारण से ऐसा हुआ है। अगर कानून के उल्लंघन करने के कारण लोगों की जानों को खतरे में डाला है तो उचित कार्यवाही की जायगी और मैं कानपुर नगरमहापालिका से जानकारी प्राप्त कर के जो उचित होगा वह करूंगी ताकि लोगों की जान खतरे में न हो।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, अभी मन्त्री जी ने कहा कि वह महापालिका के क्षेत्र में है इसलिए सरकार से कोई मतलब नहीं है।

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह मैंने नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष—

अब मुख्य मन्त्री जी ने जो कहा है उसको ध्यान में रख कर सवाल कीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन ८ आदमियों पर मुकदमा चल रहा है उनमें कौन-कौन लोग हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

४ पोर्टर हैं जो लाद रहे थे, एक प्रोप्राइटर, एक ड्राइवर, एक क्लर्क तथा एक और है, इस तरह से ८ आदमी हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मन्त्री जी बतायेंगे कि गैस सिलेन्डर के फटने का क्या कारण था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐसा मालूम होता है कि उसके मुंह पर जो कैप थी वह शायद उसके चढ़ाने-उतारने में खुल गयी। लेकिन अधिकृत रिपोर्ट नहीं बतायी जा सकती है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कितने ऐसे आदमी हैं जो बेहोश हैं, जिनकी हालत खराब है और अस्पताल में भर्ती हैं, और कितनों की चिन्ताजनक हालत है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐसी चिन्ताजनक हालत तो नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि मुख्य मन्त्री जी के उत्तर के बाद जो उन्होंने आश्वासन दिया है, जो आपकी जिम्मेदारी है, जैसा कि माननीय सुशीला जी ने बताया कि उन्होंने स्वयं देखा कि ३००-४०० आदमी थे और आपने केवल ११८ आदमी बताये तो जिन अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं समझता हूं कि इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता इस बात का, इसलिये कि ४०० आदमी भी हो सकते हैं। ११८ के लिये कहा गया कि अस्पताल ले जाये गये।

श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो भी प्रश्न इस सदन में पूछे जाते हैं उनके सम्बन्ध में आम तौर से यह शिकायत होती है कि सूचना अधिकारियों की ओर से गलत आती है। अभी जो एक माननीया सदस्या ने यह बताया कि इतने आदमी प्रभावित हुये, और मंत्री जी यह कहते हैं कि मैं जांच करा लूंगा तब तो सदन को आश्वासन हो सकता था। लेकिन आप कहते हैं कि सही भी बात हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से सूचना को छिपाना चाहते हैं। यह सदन की मर्यादा और परम्परा के अनुकूल नहीं है। यह गलत परम्परा पड़ गई है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा था उसका मंशा यह था कि १८० हास्पिटलाइज्ड केसेज हैं और बाकी केसेज में थोड़ा बहुत मरहम पट्टी करके डिसचार्ज कर दिया गया।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

माननीय मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के लिये धन्यवाद देते हुये मैं यह पूछती हूं कि जब तक इन्क्वायरी चलती रहेगी तब तक हफ्ता, १० दिन जो भी लगे क्या उसके लिये सरकार की ओर से आदेश होगा कि क्लौरिन की लोडिंग अनलोडिंग बड़ी संभाल कर की जाय जिससे कम से कम इंटरिम पीरियड में कोई दूसरी खतरनाक घटना न होने पावे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हर किस्म की सावधानी इस काम में बरती जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इस कम्पनी के मालिक कौन हैं जिन्होंने भारत सरकार के सुझाव को भी नहीं माना और प्रदेशीय सरकार की ओर से नगरमहापालिका ने भी उनके पास कुछ आदेश भेजे थे वह भी स्वीकार नहीं किये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने बताया कि यह ट्रक जो थी वह न्यू कश्मीर एण्ड ओरियंटल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड थी।

गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा श्री गणेशशंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर में परिगणित जाति के छात्रों के लिये सुरक्षित स्थानों की सुविधा समाप्त किये जाने के संबंध में वक्तव्य

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

श्रीमन्, माननीय सदस्य श्री मन्ना लाल और श्री उग्रसेन ने जो नियम ५२ के अन्तर्गत मेरा ध्यान परिगणित जातियों के विद्यार्थियों के लिये के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कालेज, कानपुर में एक निश्चित संख्या सुरक्षित रखने के लिये आकर्षित किया है इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों का आशय परिगणित जातियों से न हो कर अनुसूचित जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रखने का है। सन् १९६२-६३ तक परिगणित जातियों के लिये मेडिकल कालेजों में कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। १९६३–६४ में जब कि सुरक्षित स्थानों की संख्या बढ़ायी गयी तब अनुसूचित जातियों के साथ-साथ परिगणित जातियों को भी जोड़ दिया गया था। १९६३-६४ से पहले लखनऊ तथा कानपुर मेडिकल कालेजों में केवल अनुसूचित जातियों के लिये ४ स्थान सुरक्षित थे। १९६३–६४ में पहली बार परिगणित जातियों के किसी भी लड़के को लखनऊ अथवा कानपुर मेडिकल कालेजों में भर्ती होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के आर्डिनेंसेज में इनकी भर्ती के लिये तब तक कोई नियम नहीं था। इस वर्ष (१९६४–६५) लखनऊ यूनिवर्सिटी के नियमों में परिगणित जातियों के विद्यार्थियों की भर्ती के लिये संशोधन कर दिया गया है और उसके अन्तर्गत इस वर्ष ११ सुरक्षित स्थानों में से १० परिगणित जातियों के विद्यार्थी भर्ती किये गये और केवल एक अनुसूचित जाति का विद्यार्थी भर्ती किया गया। यह स्थित इसलिये उत्पन्न हुई कि परिगणित जातियों के विद्यार्थियों के नम्बर (मार्क्स) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के नम्बर (मार्क्स) से ज्यादा थे। अब ऐसा मालूम हुआ है कि तीन अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों ने भी न्यूनतम अंक (मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ३० प्रतिशत) प्राप्त किये हैं और उनक लिये कानपुर मेडिकल कालेज में भर्ती किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। जहां तक दो परिगणित जातियों की छात्राओं की भर्ती का सम्बन्ध है (श्री उग्रसेन जी का आशय संभवतः अनुसूचित जातियों की छात्राओं से मालूम पड़ता है) उनको इसलिये भर्ती नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने न्यूनतम अंक (मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स) नहीं प्राप्त किये हैं। यहां पर यह भी कह देना आवश्यक है कि हमारी प्रान्तीय सरकार में परिगणित जातियों के लिये किसी भी सेवा में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं है। जहां तक कि परिगणित जातियों के विद्यार्थियों के लिये मेडिकल कालेजों में स्थान सुरक्षित रखने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में भी आगे विचार किया जायेगा और जो वर्तमान आदेश इन दोनों जातियों के विद्यार्थियों के लिये स्थान सुरक्षित रखने के बारे में है उन पर भी विचार किया जायेगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि परिगणित और अनुसूचित जातियों में क्या अन्तर है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

लखनऊ मेडिकल कालेज में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये पहले से रिजर्वेशन था। और १९६३–६४ में जो गवर्नमेंट का जी० ओ० निकला उसमें बैकवर्ड क्लास और शिड्यूल्ड कास्ट्स दोनों के लिये हुआ। यह परिगणित जाति का मंत्री बैकवर्ड क्लास से है। (शोर)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मंत्री जी फरमा रहे थे कि १९६२–६३ तक यह नहीं था, १९६३–६४ में कर दिया गया अनुसूचित जातियों के लिये। यही नहीं श्रीमन्, यह भी आदेश है कि उत्तराखंड के छात्र अगर बैठें और उनके कम से कम नम्बर हों तो उनको भी ले लिया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष जनरल कोटे में दो हरिजन आ गये, लेकिन जो अनुसूचित जाति के कोटे का प्रश्न था जिसको कहते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने मान लिया है, उसमें तो कोई नहीं लिया गया। तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दो छात्रायें जो २५ परसेन्ट में नम्बर पायीं, उनको क्यों नहीं लिया जब कि उत्तराखंड के जो सबसे कम पाये थे उनको ले लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें। माननीय मंत्री जी के कहने का मतलब क्या है ? परिगणित या अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी हैं उनके लिये भी क्या कोई निम्नतम अंक रखा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

३० परसेन्ट मार्क्स हैं।

श्री अध्यक्ष—

और जो दूसरी जाति के हैं उनके लिये कितना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

३३ परसेन्ट।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

प्रश्न तो यह है कि मंत्री जी परिगणित जाति से मतलब बैकवर्ड क्लास समझ बैठे हैं और उसके आधार पर उन्होंने उत्तर दिया है तो मैं समझता हूं कि जब बुनियाद ही गलत है तो प्रश्न का उत्तर जो होगा वह निरर्थक ही होगा। परिगणित जाति से बैकवर्ड क्लास अगर समझ लिया गया तो वह किस तरह समझा गया ?

श्री उग्रसेन—

हरिजनों का कोटा पिछड़ी जाति वालों को क्यों दे दिया गया जब कि कुमारी विद्यावती जो बैठी थीं उनको नहीं लिया गया और क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लखनऊ और कानपुर मेडिकल कालेज के इतिहास में कोई हरिजन छात्र कभी ली गई है ? वह इसलिये नहीं ली गई कि सब वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, लाला हैं। जब तक ६० परसेंट उनका रिजर्वेशन का कोटा नहीं होगा तब तक यह बीमारी रहेगी। (व्यवधान) मंत्री जी फिर से जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें। यह केवल वक्तव्य के लिये था। लेकिन यह जरूर है कि माननीय मंत्री जी ने परिगणित जाति का जो जिक्र किया है उसमें कुछ भ्रम है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि परिगणित जाति और अनुसूचित जाति का जो भ्रम हो रहा है उसको वह देख लेंगे और मुझसे बात कर लेंगे। अगर आवश्यकता होगी तो १७ तारीख को फिर इस पर वक्तव्य दे देंगे। (शोर)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

बैकवर्ड क्लास की परिभाषा क्या है और शिड्यूल्ड कास्ट्स का हिन्दी अनुवाद क्या है (शोर)।

श्री अध्यक्ष—

देखिए, यह केवल वक्तव्य के लिये था। लेकिन मैं सदन की सहूलियत के लिये करना चाहता था, पर आप लोग नहीं चाहते तो जाने दीजिये .... (शोर) ..... मैं यह कह रहा था कि परिगणित जाति और अनुसूचित जाति में कुछ कन्फ्यूजन मालूम हो रहा है बयान में, उसे समझने की कोशिश करेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो १७ तारीख को फिर बयान हो जायगा।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, इसमें कोशिश की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठाया था उसकी रपट निकली है, उसको मंत्री जी पढ़ लें और आप भी पढ़ लें, साफ हो जायगा।

श्री दीपनारायणसिंह—

आप तो हिन्दी के विद्वान हैं। परिगणित और अनुसूचित जाति शिड्यूल्ड कास्ट का अनुवाद है और बैकवर्ड क्लास का अनुवाद पिछड़ी हुई जाति है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

मेरा एक निवेदन सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझ से बतला दीजियेगा, मैं देख लूंगा।

एक सदस्य—

१७ तारीख को वक्तव्य के लिये आप कह रहे है, लेकिन वह अवधि १७ तारीख तक खत्म हो जायगी तो वह बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे, इस पर भी आप विचार कर लें।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६४*

(स्वायत शासन मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, आपने भाषा विधेयक के बारे में क्या निर्णय लिया ?

श्री अध्यक्ष—

(श्री बंशीधर पांडेय से) कल आपने जो बयान दिया उसमें आपने भाषा विधेयक का जिक्र नहीं किया।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

जो कापी मेरे पास है उसमें है। जो मैंने पढ़ा है वह कापी मेरे पास है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

यह झूठ है।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

माननीय टम्बेश्वर जी ने झूठ शब्द का प्रयोग किया है, वह वापस लिया जाय।

---

*७ अगस्त, १९६४ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष---

(श्री टम्बेश्वर प्रसाद से) आप झूठ शब्द को वापस लीजिये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मैं उस कार्यवाही को अपनी आंखों से देख चुका हूं । अब अगर एक माननीय सदस्य अपनी इस बात को न कह कर दूसरी बात कहता है तो क्या वह सच हो सकती है ? इस पर आप व्यवस्था दें ?

श्री अध्यक्ष---

मैं यह व्यवस्था देता हूं कि 'झूठ' शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। 'झूठ' शब्द के प्रयोग करने से मैं समझता हूं कि इस सदन का अवमान होता है। इसलिये इस शब्द को आप वापस ले लें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या माननीय बंशीधर पांडेय का यह कहना कि उन्होंने कल इस बात को इस सदन में कहा है जब कि वह प्रोसीडिंग में नहीं तो यह सच हुआ या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय बंशीधर पांडेय ने इस सदन के सन्मुख यह कहा कि मेरे नोट में है । मैंने भी वह कार्यवाही पढ़ी है और मैं उनको बताऊंगा ..... (व्यवधान) .... जो भी नोट उन्होंने पढ़ा है वह मेरे पास भी है । उसमें यही लिखा हुआ है जो मैं उनको बताने जा रहा था । ऐसी स्थिति में आप 'झूठ' शब्द को वापस लीजिये । यह गलत है और वह वापस लेना चाहिये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

अगर माननीय बंशीधर जी ने कार्यवाही में नहीं कहा और उनके पास जो नोट है वह गलत है तो मैं इस शब्द को वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कल की कार्यवाही देखी और उस कार्यवाही से मालूम होता है कि कल आपने यह कहा कि ११ तारीख को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विचार किया जायगा तथा उसका पारण होगा । उसके उपरान्त यह सदन १२ से १६ तक नहीं बैठेगा । आपका नोट चाहे कुछ भी हो, लेकिन कार्यवाही में यही है । इसलिये यही अन्तिम माना जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

यह बात सही है कि हाउस में भी उन्होंने यही कहा जो कार्यवाही में है । तो फिर यह एजेन्डे पर कैसे आ गया ?

श्री अध्यक्ष---

यह मेरी गलती है । यह उनकी गलती नहीं है ।

*कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत छोटा-सा विधेयक है। स्थानीय निकायों के आम चुनाव जून ३०, १९६४ तक हो जाने चाहिये थे, किन्तु प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण वह नहीं हो सके ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

इसलिये इस संशोधन द्वारा यह अवधि ३१ दिसम्बर, १९६४ तक बढ़ायी गयी है। इसी के लिये यह संशोधन है कि अधिनियम में जहां शब्द तथा अंक "३० जून, १९६४" आये हैं उनके स्थान पर शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९६४" रख दिये जायं। मुझे आशा है कि सदन इस पर विचार करेगा।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, जब पिछले दिनों स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले थे तो तमाम पर्चे चुनावों के लिये दाखिल हो गये थे। कांग्रेस पार्टी का एक वक्तव्य निकला था कि सरकारी पार्टी उन चुनावों में हिस्सा नहीं लेगी। इस चुनाव होने के आदेश भी चले गये थे और तमाम टाउन एरियाज आदि में उस की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मन बदला और सरकारी पार्टी ने चुनावों में भाग लेने का फैसला किया। इसलिये केवल कांग्रेस पार्टी की सुविधा के लिये सरकार ने यह अध्यादेश जारी कर के चुनाव की अवधि बढ़ा दी। जब इस प्रकार की कोई बात आती है तो सरकार सारे कायदे कानून छोड़ कर आर्डिनेन्स द्वारा अपने काम करती है। मैंने देखा है कि भारतवर्ष में जितने सूबे हैं उन सब में सब से ज्यादा आर्डिनेन्स इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने निकाले हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार आर्डिनेन्सों की सरकार हो गयी है और इस प्रकार यहां जम्हूरियत का गला घोंटा जा रहा है। अगर इस प्रकार से आर्डिनेन्स जारी होते रहे तो उत्तर प्रदेश में और इस स्थानीय निकायों में जनतंत्र नहीं रहेगा और यहां जनतंत्रीय व्यवस्था चल नहीं सकती। जिला परिषदें, क्षेत्र समितियां तथा गांव सभायें किस प्रकार काम करें? इसके लिये कायदे कानून बनते हैं और उनमें भी सरकार का आधिपत्य बढ़ता जा रहा है। यह सारी संस्थायें सरकार अपने कब्जे में लेने को आरूढ़ है। जो जनतांत्रिक नियम हैं उनको यह सरकार दबाना चाहती है और चाहती है कि एक मात्र उसकी रुचि के अनुसार यह संस्थायें चलें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी, अध्यादेश पर अब आप बोल चुके, अब विधेयक के बारे में बोलिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

उसमें तो कुछ है नहीं। केवल यही है कि समय बढ़ा दिया जाये।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि विधेयक और अध्यादेश की शब्दावली और धारा, उप-धारा में क्या अंतर है?

श्री अध्यक्ष—

मैं बतला दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यादेश जब अनुमोदन के लिये हाउस में आता है तो विधेयक के रूप में आता है।

श्री अध्यक्ष—

आपको कुछ कहना है, इसके ऊपर?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं इसका विरोध करता हूं। मैं आदरणीय सदन से कहना चाहता हूं कि इसमें जो अल्पकालिक समय बढ़ाने के लिये कहा गया है उसको न पास कराया जाय और उसका विरोध किया जाय।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, यह जो एक छोटा-सा, मासूम-सा कहा जाने वाला विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। मंत्री जी ने कहा कि हम चुनाव नहीं करा पावेंगे और समय बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन श्रीमन्, आप अगर उसमें देखें कि उसका प्रजातन्त्र और जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे तो यही साबित होता है कि कांग्रेस सरकार प्रजातंत्र पर विश्वास करती ही नहीं है और अपनी सुविधानुसार जब जो चाहती है, करती है। जहां तक इस म्युनिसपैलिटी के चुनाव का संबंध है, एक बार नहीं ८–१० बार नगर पालिका के चुनाव की बात है। जब चुनाव का समय आया तो कह दिया कि अभी इस संबंध में सरकार को असुविधा है और समय बढ़ा दिया जाय। जिलाधीशों को श्रीमन्, आदेश दे दिया जाता है कि अभी चुनाव न कराया जाय। विभिन्न पार्टियां अपना आदमी खड़ा कर देती हैं, प्रचार हो जाता है, किन्तु जब चुनाव का समय आता है तो कह दिया जाता है कि अभी चुनाव नहीं कराया जायगा। तो, श्रीमन्, जनता का इसमें विश्वास नहीं रह गया है कि ये चुनाव कब करायेंगे। अभी इनके कांग्रेस के अध्यक्ष का ही चुनाव झगड़े में पड़ा है। त्रिपाठी जी अध्यक्ष हो कर आयेंगे तब तक अन्य प्रकार की समस्या हो जावेगी। कह देंगे कि चुनाव ३१ दिसम्बर, १९६४ को कराया जाय। जब वह समय नजदीक आयेगा तो फिर कह देंगे नहीं अब उसे ३० जून, १९६५ को रख दिया जाय। चुनाव, श्रीमन्, एक आंदोलन है और यह २ महीने और तीन महीने का होता है। जब चुनाव का समय पास आता है तो ये उसका समय बढ़ा देते हैं। फिर कौन उसका टेम्पो लगातार कई महीनों तक बनाये रखेगा। तो श्रीमन्, जब ये देखते हैं कि हम जीतेंगे नहीं तो अल्पकालिक समय बढ़ा देने की मांग करने लगते हैं।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं उल्लेख करना चाहता हूं राजस्थान का। वहां पर एक बार कांग्रेस सरकार ने देखा कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे तो नोटिस के बाद चुनाव स्थगित कर दिया। लेकिन वहां के लोगों ने हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया और उन्हें अपनी रद्द करने की नोटिस वापस लेनी पड़ी और चुनाव से कांग्रेस हार गयी। तो यह मौलिक सिद्धान्त की बात है। यह पहली बार नहीं हुआ है बल्कि स्वायत्त शासन और नगरपालिकाओं के चुनावों का समय बढ़ाने का क्रम अनेक बार हो चुका है। कल परिषद में भी यही कहा और आज भी यही कहेंगे कि हम जरूर दिसम्बर में करा देंगे, लेकिन ऐसे आश्वासन कभी पूरे नहीं होते। तो मैं जनसंघ की ओर से इस विधेयक का विरोध करता हूं और ऐसी प्रथा बार-बार नहीं अपनायी जानी चाहिए जिसमें सरकार इस प्रकार से मनमानी करे।

*श्री रघुनाथसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक इस समय सदन में विचार के लिए प्रस्तुत है.....

श्री अध्यक्ष—

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कल हाउस बन्द हो रहा है, ५ दिन की छुट्टी हो रही है तो अगर आप चाहें तो १ बजे तक बहस समाप्त हो जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

आप क्या चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त करना चाहते हों तो करें वरना न करें। श्री रघुनाथसिंह, आप जारी रखें।

श्री रघुनाथसिंह—

मेरा यह निवेदन है कि यह संशोधन विधेयक जिस संशोधन अध्यादेश पर आधारित है उसमें कहा गया है कि राज्यपाल के द्वारा संशोधन अध्यादेश २७ जून, १९६४ को प्रसारित किया गया और जून के अन्त में ही वह चुनाव होना चाहिए था। सोचने की बात है कि जून के बीतते-बीतते जिस चुनाव को होना चाहिए था उसको हटाने का अध्यादेश २७ जून को जारी किया गया। यह कितनी अकर्मण्यता है और कितने अविश्वासनीय ढंग से व्यवहार किया गया कि जून के ३ दिन रह गये तब राज्यपाल की शरण में संविधान की एक धारा का सहारा लेकर एक अध्यादेश जारी किया गया। अब उसमें यह कहा गया कि यह चुनाव इसलिये नहीं कराया गया क्योंकि कुछ शासकीय कठिनाइयां थीं। सदन की बैठक मई के पहले सप्ताह तक चलती रही। यह जनतांत्रिक सरकार है और पूरी बटालियन मंत्रियों की है, लेकिन सदन की बैठक चलते समय तक उसको नहीं जान पड़ा डेढ़ महीने पहले कि जून में होने वाले चुनाव में क्या शासकीय कठिनाइयां हमारे सामने आ सकती हैं। इस प्रकार से यह बहाने का झूठ अपने अध्यादेश में राज्यपाल के द्वारा और अपने विधेयक में यहां भी कराया गया। वास्तविक बात यह थी कि अगर सदन की बैठक चलते समय इस चुनाव को टालने की बात की जाती तो विरोधी पक्ष के द्वारा जनमत के आधार पर बहुत-सी बौछारें और आलोचनाएं होतीं जिनसे यह डरपोक सरकार बचना चाहती थी, इसलिये जब सदन की बैठक बन्द हो गई तब यह अध्यादेश जारी कराया गया। मेरा निवेदन है कि यह कार्य नितान्त अशोभनीय और जनतंत्रीय परम्पराओं के विपरीत है और इससे जनतंत्र का अहित होगा। सरकार की ऐसी ही गलत पालसी के कारण खाद्य समस्या उपस्थित हो गयी है और दिसम्बर में भी शायद ही सरकार चुनाव करा पाये, यह मेरी भविष्यवाणी है। अगर इस प्रकार से चुनाव टाले जायंगे तो यह सरकार के लिए खुशी की बात नहीं होगी।

*श्री उग्रसेन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो पहले अध्यादेश के वैधीकरण के लिए यह विधेयक रखा है उस का मैं विरोध करता हूं। यह तो सरकार के लिये निर्विवाद सत्य है कि वह कोई काम समय से नहीं करती है। जब वह अपना निजी फायदा देखती है तभी उस काम को करती है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

मुख्य प्रश्न तो यह है कि चुनाव ३१ दिसम्बर, १९६४ तक हों या अनिश्चित काल तक के लिये रोक दिये जायं। इस पर माननीय सदस्य को कुछ कहना चाहिये।

श्री उग्रसेन—

मैं माननीय सदस्य का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरा ध्यान एक सीमित विषय तक खींचा। इसमें कोई सन्देह नहीं है और हम सब विरोधी पक्ष के यह चाहते हैं कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो जायं। आज प्रश्न यह है कि सरकार लगातार इस प्रश्न को अब तक टालती क्यों रही और अंतिम समय में जाकर उसको क्यों टाला ? पहले तो माननीय मुख्य मन्त्री यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहती रहीं कि चुनाव नहीं टल सकते, चुनाव होंगे, मैं पूछता हूं फिर क्यों टाल दिये गये ? जब डेपुटेशन शर्मा जी के पास गया तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, सेक्रेटरी जानें, सेक्रेटरी साहब के पास जब गये तो उन्होंने कहा गुरुदेवसिंह जी जानें। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तार चला गया। उधर तार पहले ही चला गया और बाद को हम लोगों से बातचीत होती है। उधर तार भेजा गया और इधर नेताओं से प्रेमालाप चलता रहा। आज उत्तर प्रदेश का काम चल क्यों नहीं पा रहा है, मुख्य प्रश्न यह है ? कांग्रेस सरकार की आपस की दलबन्दी के कारण काम नहीं चल पा रहा है। गुप्ता जी की पार्टी कहती है चुनाव हो जाय, त्रिपाठी जी की पार्टी कहती है अभी नहीं, उसमें गड़बड़ी है। तो जब तक इनमें दलबन्दी रहेगी, उत्तर प्रदेश का काम नहीं चल पायेगा। श्रीमन्, राजा के अवगुणों का असर प्रजा पर भी होता है। जब तक यह सरकार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को नहीं त्यागेगी, तब तक उत्तर प्रदेश का भला होने वाला नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह--

सवाल तो यह है कि यह चुनाव २१ दिसम्बर तक हों या नहीं, इस पर क्या कहना है ?

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन--

मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष में भी ऐसे लोग हैं जो दो खेमों में बंटे हुये हैं। मगर मेरा कहना यह है कि अगर इस सरकार की दलबन्दी केवल उनके कांग्रेस दफ्तर तक ही सीमित रहे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, वह हो, मगर यहां सरकार के बीच नहीं होना चाहिये। अगर मंत्रीजी आज आश्वासन दे दें कि ३१ दिसम्बर के अंदर चुनाव हो जावेंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं है क्योंकि बंशीधर जी ने बनारस की सारी इज्जत डुबो दी है। वह सही उत्तर दें कि किन परिस्थितियों से उन्होंने चुनाव टाले।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

***श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---**

अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब ने यह सवाल रखा कि सरकार ने ६ मई निश्चित की और उसी दिन सुबह को माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया इलेक्शन कमिश्नर को कि वह तमाम जिलाशीर्षों को सूचित कर दें कि म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव पोस्टपोन कर दिये गये हैं।

(इस समय १ बजकर ६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

३।। बजे तक स्वायत्त शासन मंत्री को पता ही नहीं था इसका। सदन में जब माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछा गया तो कहा कि विचार करेंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि सदन में आने से पहले ही वह आदेश जारी कर चुकी हैं कि चुनाव पोस्टपोन किये जावें। सदन को अंधेरे में रख कर यह सब कार्यवाही की गई। ३। बजे गुरुदेवसिंह स्वायत्त शासन मंत्री के कमरे में बुलाये गये। विरोधी पक्ष के बहुत से नेता वहां मौजूद थे। उस समय भी माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं थी। उस के बाद मंत्री जी ने कहा कि डी० एम्स० को आर्डर्स जा चुके हैं और सुचेताजी ने हम को टेलीफोन से कहा था कि आप अर्डर्स जारी कर दें। रूल्स के मुताबिक़ किसी भी स्थानीय निकाय की जिन्दगी बढ़ाने का हक १ साल और फिर १ साल बढ़ाने का हक है। यह हम लोगों की कमजोरी है कि हमने चुनाव पोस्टपोन होने को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी वरना लाजमी था कि सरकार को या गवर्नर को आर्डिनेंस जारी करने का हक़ नहीं था। जानबूझ कर सदन के उठ जाने के बाद २७ जून को जब कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

३ दिन की अवधि रह गई थी जिसमें चुनाव हो जाने चाहिये थे, चुनाव की तारीख ३१ मई निश्चित की गई थी और यह कह कर कि गर्मी का मौसम है उन्हें टाला। १२, १३ तारीख को यह पी० सी० सी० के इलेक्शन होने वाले थे और सरकारी पक्ष के लोगों का सारा ध्यान वहां लगा हुआ था। सुचेता जी ने उस समय केवल कांग्रेस की गुटबन्दी और पी० सी० सी० के इलेक्शन को सामने रख कर सदन के साथ और प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया। चन्द आदमियों की खुशनूदी के लिये अपने आश्वासन को तोड़ना यह कहां तक उचित था? अब हम कैसे जनता में जाकर कह सकते हैं कि सरकार अपने वायदे को निभावेगी? मैंने सदन में साफ पूछा कि मुख्य मंत्री जी आश्वासन दें मगर उस समय वह बैठी रहीं चूंकि उनके दिमाग पर यह था कि पी० सी० सी० के इलेक्शन होंगे और चुनाव पोस्टपोन किये जावेंगे। आज भी अगर मुख्य मंत्री जी कह दें कि चुनाव होंगे तो हम उनके आश्वासन को मानेंगे।

*श्री दीपनारायणसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यद्यपि मैं विरोधी पक्ष का हूं किन्तु यह समझते हुए कि यह सरकार वायदा खिलाफी कर रही है, हर चीज अपने ही स्वार्थ से करती रही है, कोई चारा नहीं दिखाई देता कि हम इस विधेयक को स्वीकार न करें। ३१ दिसम्बर, १९६४ के पहले चुनाव हो जाना अत्यावश्यक है। कई बार ये चुनाव बढ़ाये गये। उस से जो बेईमानियां और बदमाशियां हुईं उनका बहुत बड़ा महत्व है। म्युनिसिपैलिटियों के अध्यक्ष जिला परिषद् के सदस्य होते हैं, जिला परिषद् के अध्यक्ष के लिये वोटर होते हैं। पारसाल ३ सितम्बर, १९६३ को नगरपालिका बिन्दकी के चेयरमैन श्री सीताराम गुप्ता के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ और क़ानून से वह ७२ घंटे के अन्दर चेयरमैन नहीं रह सकते थे। लेकिन दिसम्बर में जिला परिषद् के अध्यक्ष के चुनाव में उनका वोट करा लिया गया और खुद माननीय रक्षपाल जी ने कांग्रेसी अध्यक्ष श्री हरप्रसाद को वोट दिया। लेकिन यहां कुछ लोग चाहते हैं कि फिर से चुनाव न हो। १ वोट से हरप्रसाद गुप्त जीते जिसका चुनाव पेटीशन चल रहा है। कांग्रेस पक्ष का अध्यक्ष हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य की मदद से जीता है। म्युनिसिपैलिटी का अध्यक्ष बदनाम हो चुका है और उस की मदद से जिला परिषद् का अध्यक्ष क़ायम रहे। वह भी बदनाम होता है। कंट्रोल की दुकानें लेते हैं, चाहते हैं कि वे क़ायम रहें। जब मैंने माननीय रक्षपाल जी की बात को समझा कि इसका विरोध कर रहे हैं तो यह समझा कि वह चाहते हैं कि अनिश्चत काल के लिये मौजूदा चेयरमैन रहें और बेईमानियां होती जावें। यह जो गंदगी भर जाती है, जनता जनार्दन चुनाव के द्वारा उस को हटाती है। जब आर्डिनेंस जारी किया गया तो हमको शोर मचाना चाहिये था, लेकिन इस विधेयक के समय यह बात कहना कि गुप्ता जी त्रिपाठी जी की वजह से ऐसा हुआ है, गलत बात है। इस वक्त तो सभी यह चाहते हैं कि ३१ दिसम्बर, १९६४ तक चुनाव अवश्य हो जाने चाहिये। विरोधी पक्ष भी यही चाहता है, लेकिन वह यह जरूर चाहता है कि सरकार निश्चित रूप से इस बात का आश्वासन दे कि चुनाव कब तक अवश्य हो जायेंगे। विश्वास उसको इसलिये नहीं होता कि सरकार कई बार वायदा खिलाफी कर चुकी है। माननीय वर्मा जी हंस रहे हैं, मालूम पड़ता है उनकी नीयत अब भी खराब है। यह कूड़ा-करकट धारा में अवश्य बहना चाहिये और उसके लिये चुनाव अवश्य होने चाहिये।

आर्य जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं, लेकिन बदनीयती को हटा कर ईमानदारी के साथ सदन से उन को वायदा करना चाहिये कि चुनाव इस बीच में अवश्य हो जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय दीपनारायण जी ने हमारे दल के एक सदस्य श्री रक्षपाल सिंह जी के लिये यह कहा कि उन्होंने फलां आदमी को वोट दिया। उनको यह बात कैसे मालूम हो गयी कि उन्होंने किस को वोट दिया ?

श्री दीपनारायणसिंह—

कुंवर साहब खुद मेरे साथ चलें, उन को भी मालूम हो जायगा। जरा बाजपेयी जी से ही पूछ लें।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उस के सिलसिले में उन्होंने वायदा किया है कि ३१ दिसम्बर, १९६४ तक नगरपालिकाओं के चुनाव अवश्य करा लिये जायेंगे। करा सकते हैं। सरकार इस प्रकार के मामूली चुनावों के कराने में संपन्न है, जब चाहे तब करा सकती है। लेकिन श्रीमन्, उसकी नीयत पर संदेह तब होता है जब सरकार बार-बार वायदा करके भी नहीं कराती। १८ वर्ष जिला बोर्ड के चुनाव टाले। उस समय विचित्र नारायण जी शर्मा स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव नहीं टलेंगे, लेकिन फिर भी चुनाव टल गये। अभी पिछली बार जब मई में चुनाव होने वाले थे ,उस वक्त एक सवाल हमारे सामने आया था कि गर्मी है, इसके अतिरिक्त मुसलमानों का त्यौहार भी था, इसलिये सरकार से कहा गया कि चुनावों को कुछ टाल दिया जाय। मैंने इस सवाल को उठाया और माननीय मंत्री जी ने कहा कि विचार करेंगे। थोड़ी ही देर बाद चतुर्भुज शर्मा जी ने दफ्तर में बुलाया। हमने कहा कि हमें तो ऐसा मालूम हुआ है कि आदेश जा चुके हैं, अब हम लोगों को किस लिये बुलाया गया है। चतुर्भुज शर्मा जी को भी अभी तक उस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बाद में जब छानबीन की गयी तो मालूम हुआ कि सचमुच बातचीत करने से पहले ही आदेश चले गये थे। तो इसीलिये नीयत पर शंका होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप फिर सदन में आवें और कहें कि हमें कुछ और समय दे दिया जाय। क्योंकि १७ वर्ष का इतिहास बतलाता है कि सरकार ने तमाम तौर तरीके से विधान में संशोधन करके या और किसी न किसी तरह से हमेशा ही मौका लिया और इसका नतीजा यह है कि म्युनिसिपैलिटियों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है और हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान तो उन गरीब मेहतर और भंगियों का हुआ है जिनकी हाउसिंग स्कीम के लिये सरकार ने लाखों रुपये दिये हैं और हमारा तो खयाल है कि प्रदेश के पैमाने पर इस मद में कई करोड़ रुपये होंगे जो हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत दिये गये हैं, वे नहीं मिले। मैं इस सिलसिले में बस्ती नगरपालिका का उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं जहां इस तरह की समस्या बहुत गम्भीर है, सहारनपुर है और भी ऐसी बहुत सी नगरपालिकायें हैं जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। यह सब चुनाव न होने के कारण है और इसकी वजह से तमाम समस्यायें उलझती व बढ़ती गयी हैं और उनका कोई समाधान नहीं होता।

इसलिये मैं एक बात नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गर्मी में आपने चुनाव को टाल दिया, बहुत अच्छा किया, मैंने भी इसके लिये सुझाव दिया था, लेकिन इस बार आप जो वादा करें उसके लिये आपको एक डेफिनिट आश्वासन देना चाहिये कि दिसम्बर के पहले जब भी आप चुनाव करायेंगे तो किस तारीख से चुनाव शुरू होगा और किस तारीख को समाप्त होगा। फिर आपने जो संशोधन विधेयक पेश किया है उसे पास करने में हमें कोई आपत्ति न होगी। गर्मी में चुनाव कराने का मौसम ठीक नहीं था, इसलिये आपने टाल दिया, इसे मैं ठीक मानता हूं। अब आपकी पार्टी पोलिटिक्स क्या थी, इस पचड़े में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

पड़ने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनता की ही ऐसी आवश्यकता थी जिससे गर्मी में चुनाव नहीं हो सके। उस समय मुसलमानों का त्योहार भी था और प्रदेश में बहुत सी जगहों पर दफा १४४ भी लगी हुई थी इसलिये भी उस को टाल दिया गया। अब मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जब अपना जवाब दें तो एक निश्चित आश्वासन दें कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक प्रदेश की नगरपालिकाओं, नोटिफाइड एरियाज व टाउन एरियाज के चुनाव हम करा देंगे। इससे सदन आश्वस्त हो जायगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी अपने जवाब में एक निश्चित आश्वासन देंगे और अब चुनाव टलेगा नहीं।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा जून में म्युनिसिपैलिटियों का चुनाव होना वास्तव में ठीक बात नहीं थी और मौसम की खराबी की वजह से इस चुनाव को हटाना पड़ा। अच्छा होता अगर पहले ही यह निश्चय लिया गया होता। जिस तरह से नामिनेशन की तारीख के बाद आप ने उस तारीख को हटाया और फिर चुनाव को हटाना पड़ा, उससे हमारी साख कोई बढ़ी नहीं है बल्कि अपने उस वादे से हटने पर जनता में कुछ अविश्वास जरूर पैदा हुआ है। केवल एक मिनट के लिये मैं खड़ा हुआ हूं अपनी बात कहने के लिये कि दो बातों का स्पष्टीकरण अवश्य हो जाना चाहिये। एक तो यह कि एक मजबूत और निश्चित स्पष्ट रूपरेखा सदन के सामने और प्रदेश के सामने आ जाय कि चुनाव कात शुरू होगा और कब समाप्त होगा और जो भी अन्तिम रूप से निश्चय हो उस पर दृढ़ रह जाय।

दूसरी बात यह भी स्पष्टीकरण के रूप में मैं चाहता हूं कि जो चुनाव होने वाला है—जो संशोधन आप म्युनिसिपल ऐक्ट में लाने जा रहे हैं उस संशोधित प्रणाली के अनुसार कराना चाहते हैं या जो पुराना म्युनिसिपल ऐक्ट है उसके अन्तर्गत कराना चाहते हैं। इस स्पष्टीकरण से कम से कम जनता को समझाया जा सकेगा कि जो चुनाव आप करेंगे या जिस चुनाव की तैयारी उन को करनी है वह पुराने ऐक्ट के आधार पर तैयार होनी है या संशोधित म्युनिसिपल ऐक्ट के आधार पर होनी है जिसके लिये आप संशोधन विधेयक लाने जा रहे हैं। ये दो स्पष्टीकरण परम आवश्वक हैं। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

*श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में यहां काफी बातें हुई हैं। हमारे साथी श्री दीपनारायण सिंह जी ने कहा कि अगर हम इस को मंजर नहीं करते तो इस के माने होंगे कि प्रजातन्त्र में हमारा यकीन नहीं है और आज जो गलत सही तत्व इन लोकल बाडीज में काबिज हैं उन को ही हम बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है ऐसा कोई नहीं चाहता। जो लोग विरोध कर रहे हैं वह इस दृष्टिकोण से मुखालफत नहीं कर रहे हैं कि चुनाव नहीं होने चाहिये बल्कि इस लिये कर रहे हैं कि ३० जून, सन् ६४ तक जो चुनाव हो जाने चाहिये थे वह वादे के मुताबिक नहीं कराये गये और अब इस बिल के द्वारा उस गैरकानूनी कार्यवाही को जायज कराया जा रहा है। अगर यह बिल पास नहीं होता है तो इस का हश्र क्या होगा? इस का हश्र यह होगा कि सारी कार्यवाही जो १ जुलाई से हो रही है वह अवैधानिक हो जायगी और वह सरकार के लिये एक चेतावनी की चीज हो जायगी। अपोजीशन की ओर से यह नहीं किया गया कि हाईकोर्ट या दूसरी जगह जा कर स्टे आर्डर ला सकें।

जहां तक सरकार की नेक नीयती की बात है, इस में शक नहीं है कि सरकार ने यकीन दिलाया और उस के बाद विश्वासघात किया। यह उस के लिये कोई इस तरह का पहला

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मौका नहीं है, हमेशा उधर से ऐसा होता रहा है। जब हमारे सूबे के मुख्य मंत्री ही वादा खिलाफी करते हैं तो पूरी मिनिस्ट्री के वादे पर यकीन कैसे किया जाय? किसानों पर २५ प्रतिशत की जो लेवी लगी थी उस में भी ऐसा ही हुआ, इस सदन में कहा गया तो उस समय के मुख्य मंत्री गुप्त जी ने श्री हुकुम सिंह पर टाला और उन्होंने भी गोलमोल जवाब दे दिया। इस तरह से सरकार की नेकनीयती या बेईमानी का सवाल नहीं है, लेकिन इस नतीजे पर हम जरूर आ सकते हैं कि इस सरकार के केरेक्टर पर जो यकीन करता है वह बेवकूफी जरूर करता है। इसलिये मैं दरखवास्त करूंगा कि जिस तरह से कि अन्य सदस्यों ने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि चुनाव हों और अगर सरकार का प्रजातन्त्र में यकीन है तो वह मजबूत वादा करे और उस पर कायम रहे। नामिनेशन की तारीख तय हो जाती है और बाद में किन्हीं कारणों से चुनाव हटाये जाते हैं। मैं उन के दल उन के दल की अन्दरूनी बातों को कहना पसन्द नहीं करता, लेकिन इससे उन के विश्वास पर और नेकनीयती पर जनता में गलत धारणा बनती है। बिल के विरोध के माने यह नहीं हैं कि हम चुनाव से डरते हैं या कि हम चुनाव कराना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि चुनाव अविलम्ब हों, लेकिन हम जानते हैं कि सरकार चुनाव कराने के मूड में नहीं है। इधर जो सरकार के कदम भूमि और भवन कर के संबंध में और खाद्यान्न के संबंध में उठे हैं उन की प्रतिक्रिया देख कर सरकार के कदम खुद डगमगा गये हैं। सरकार चाहती है कि अभी और टाला जाय ताकि फेवरेबिल परिस्थिति वह फिर गेन कर सकें। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी साफ तौर से एलान करें कि पिछली बार नामिनेशन पेपर्स की तारीख लगने के बाद कौन-सी परिस्थितियां आ गई थीं कि चुनाव नहीं हो सके और यह बिल लाना पड़ा? अब भी अगर सरकार चाहती है कि प्रदेश की जनता का विश्वास जनतन्त्र में कायम रहे तो उसे जनता को विश्वास देकर विश्वासघात नहीं करना चाहिये।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक पर जिन माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं उनमें से अधिकांश ने विधेयक की परिधि के बाहर की बातें अधिक कही हैं। कहीं कांग्रेस पार्टी, कहीं विरोधी दल की बात, आपस में हममें क्या बात है उन बातों का उल्लेख करना उनके लिये यहां उचित नहीं मालूम पड़ता। कांग्रेस पार्टी एक है और उसकी सरकार है जो प्रजातन्त्र की हामी है और उसने हमेशा से प्रजातन्त्र को मजबूत करने की कोशिश की है। इसलिये जो माननीय सदस्य यह कहते हैं कि इस सरकार के द्वारा प्रजातन्त्र को कोई क्षति पहुंची है यह सही नहीं है। बजाय इसके हम प्रजातन्त्र को ज्यादा मजबूती से देखना चाहते हैं। माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सुविधा की दृष्टि से यह चुनाव टाला गया। मेरा कहना है कि उन्होंने सच्चाई पर परदा डाला है। जहां तक मेरी याददाश्त है और माननीय ऊदल जी तथा जगदीश शरण अग्रवाल जी ने उस याद को और ताजा कर दिया है, सचमुच बात यह थी कि दोनों तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि गरमी के दिन हैं, चुनाव में भाग-दौड़ करना पड़ती है इसलिये चुनाव के लिये उपयुक्त मौसम होना चाहिये और शायद उस समय कोई त्यौहार भी था जिससे लोग चुनाव टालना चाहते थे। इसलिये सरकार की ओर से जो अध्यादेश जारी किया गया वह सदन की इच्छा के अनुरूप ही किया गया। माननीय सदस्यों का कहना है कि सरकार चुनाव टालना चाहती है इसलिये बार-बार संशोधन लाती है। सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। यह संशोधन विधेयक जो अध्यादेश को अधिनियम में परिणत कर रहा है स्पष्ट कहता है कि ३१ दिसम्बर, १९६४ के अन्दर सभी स्थानीय निकायों के चुनाव करा दिये जायेंगे। सरकार की ओर से तिथियां अखबारों में प्रसारित की जा चुकी हैं। ३ अक्तूबर से १० दिसम्बर के अन्दर स्थानीय निकायों के चुनाव करा दिये जायेंगे। अतः माननीय सदयों की शिकायत दूर हो जायगी।

माननीय जगदीश शरण अग्रवाल जी ने पूछा है कि यह चुनाव नये अधिनियम के मुताबिक होगा या पुराने के। अगर हम नये संशोधन विधेयक के मुताबिक चुनाव करते हैं तो निश्चय ही चुनाव में विलम्ब होगा क्योंकि डीलिमिटेशन करना होगा। इसलिये चुनाव पुराने

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

ऐक्ट के मुताबिक होंगे ताकि विलम्ब न हो । ३१ दिसम्बर के अन्दर ही चुनाव होंगे । अतः इस विधेयक पर विचार किया जाय और अध्यादेश को अधिनियम में परिणित किया जाय ।

कुंवर श्रीपालसिंह--

मैं इसका श्रीमन्, विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

रिप्लाई हो चुका है । अब आप पीछे बोल लीजिएगा । विरोध तो हो ही सकता है । मैं अब यह अर्ज करना चाहता हूं कि अब इस पर वोट ले लिया जाय ।

कुंवर श्रीपालसिंह--

श्रीमन् अधिक नहीं, केवल २ मिनट लेना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

तृतीय वाचन के समय ।

कुंवर श्रीपालसिंह--

तृतीय वाचन आपका कहां है?

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं यह समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों में से किसी को एतराज नहीं है कि मत ले लिया जाय ।

श्री ब्रह्म दत्त मायर--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर माननीया मुख्य मंत्री जी आश्वासन दे दें कि चुनाव होगा लाजमी तो हम अपना रुख बदलने की तरफ ध्यान दें ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह तो बिलकुल पास हो रहा है । मेरे विचार में आश्वासन की कोई विशेष जरूरत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २ तथा ३

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६३ की धारा ३ और ४ का संशोधन

२--उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम १९६३ की धारा ३ और ४ में, जहां-जहां भी अंक तथा शब्द "३० जून १९६४" आये हों, उनके स्थान पर अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९६४" रख दिये जायें ।

निरसन और अपवाद

३—(१) उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के कारण, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम २७ जून, १९६४ को प्रारम्भ हुआ था। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९६४

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६४

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ को संशोधित करने के लिये उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६३

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं,

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

*कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन् मैं इसका विरोध करता हूं। श्रीमन्, आपकी आज्ञा हो चुकी है और एडवान्स बुकिंग हो चुका है। इस संबंध में मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है। चुनाव होना ही चाहिये। मगर होगा कि नहीं, इसमें अनेक राय है। ३ मर्तबा से यह बराबर चुनाव होते चले आ रहे हैं। ये चुनाव होंगे या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके संबंध में मुझे एक कहावत याद आ गयी कि २ बंगाली भाई थे। उनमें से एक भाई तगड़ा था और दूसरा कुछ कमजोर।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

तगड़े वाले ने कमजोर वाले भाई का हाथ तोड़ दिया तो जब हाथ टूट गया तो उस कमजोर भाई ने कहा कि :

"ये ही हाथे मानी देले तो मानी देलें ।
ये ही हाथे मानी देओ तो आमी जानें ।।"

उसके कहने का अर्थ था कि इस हाथ को तोड़ दिया पर इस हाथ को तोड़ दो तो हम जानें। ये एलेक्शन ३ बार टाले जा चुके हैं और फिर वे ये कहें कि अबकी बार होंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी अगर यह कह दें और वचन दे दें कि अबकी बार चुनाव हो कर रहेगा तो हम मानलें। मंत्री जी तो हमेशा कहते रहे हैं कि चुनाव होगा, लेकिन गर्मी का बहाना लेकर जब कि आप लोग नैनीताल में हवा खाते हैं इसको टाल दिया जाता है।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार हाथी जैसी है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। उसी प्रकार से इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के विषय में बार-बार बल दिया और कहा कि वे चुनाव कराना चाहते हैं। चुनाव वह कराना चाहते भी थे, लेकिन हाउस की राय से टालने पड़े। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के भाषण को असत्य की संज्ञा दूं अथवा कौन-सी संज्ञा दूं, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि इस प्रकार का भाषण मंत्री जी के मुंह से शोभा नहीं देता। सरकार के द्वारा घोषणा की जाय और आचरण न हो तो हमको आश्चर्य नहीं होता। जब से इस प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत कायम है तब से बराबर जनतंत्र का गला घोंटा गया है। सन् १९४८ में जिला बोर्डों के चुनाव हुए। उनका कार्यकाल बराबर बढ़ता चला गया यहां तक कि १९५८ में आर्डिनेन्स के जरिये से जिला बोर्ड के ढांचे को ही बदला दिया गया। स्वायत्त शासन की अन्य संस्थाओं की दुर्दशा का वर्णन बहुत से मित्रों ने किया है। मैं तो खेद के साथ यही कह सकता हूं कि यह सरकार जनतंत्र की दुहाई देती है, लेकिन आचरण उसके खिलाफ करती है। इसकी हालत मदान्ध हाथी जैसी है जिसके लिये दृढ़ अंकुश की जरूरत है जो कि इस पर एक मजबूत महावत ही इस्तेमाल कर सकता है। विरोधी पक्ष ही वह मजबूत महावत है, लेकिन यह सरकार अपने साधनों को इस्तेमाल करने, विरोधी पक्ष को कमजोर करने की साजिश करती रहती है। मुझे भी सरकारी पक्ष से इतना भय नहीं है जितना कि दीपनारायण सिंह की बदली हुई टोन से भय उत्पन्न हुआ है। मायर साहब वायदा चाहते हैं। जब आप कहते हैं कि वायदा का कोई भरोसा नहीं तो वायदा क्यों चाहते हैं? मुझे खुशी नहीं है कि शासक दल में गुटबन्दी हो, लेकिन कभी-कभी संतोष होता है कि असली विरोधी पक्ष का काम उधर ही हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

इससे क्या संबंध है ?

श्री मैनेजरसिंह—

इससे संबंध यह है कि आप का जो अंकुश है वह ज्यादा जबरदस्त है। वह अंकुश जनतंत्र के लिये बुरा अवश्य है, हमारे प्रदेश के लिय अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम इतना संतोष अवश्य होता है कि आपसी विरोध से सरकार पर अंकुश लग जाता है और सरकार काम करने से रुक जाती है। और यह सही बात है, चाहे सरकारी पक्ष माने या न माने कि आपसी संघर्ष के फलस्वरूप ही सरकार की गाड़ी नहीं चल पा रही है और चलने की भी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

उपाध्यक्ष महोदय, जनतंत्र में जनवाणी पत्रों द्वारा मुखरित होती है, इसको हम और आप देखते तथा मानते हैं। यह कार्य नित्य है पर जन रोष ५ वर्ष में ही प्रदर्शित होता है जनता द्वारा चुने हुये नुमाइन्दों की जो पालिसी होती है उसका एक आम विरोध जनता द्वारा चुनाव में ही प्रदर्शित होता है। आपकी सरकार की क्या पालिसी है और कहां तक जनप्रिय तथा जनता सहयोग देती है, यह तस्वीर चुनाव के समय ही सामने आती है। सरकार की एक तनाव की पालिसी रही है जिसके द्वारा हर आदमी परेशान रहता है। आज इस समय भी खाद्यान्न की बड़ी विकट समस्या हमारे सामने उपस्थित हो गई या कर दी गई है। इससे पहले भी शहरी जनता पर भूमि भवन-कर कानून द्वारा एक भयावह परिस्थिति की समस्या उपत्न्न हो गई थी। इस तरह से जनता को सदैव परेशानी बनी रहती है। जनता परेशान हो जाती है इन समस्याओं के कारण चुनाव का होना जनमत जानने का साधन है। प्रजातंत्र में अधिनायकवाद पैशाचिक रूप धारण कर लेता है। इसकी हमें रोक करनी है।

मान्यवर, पिछली मर्तबा यह कहकर चुनाव टाल दिये गये कि वोटर लिस्ट तैयार नहीं है और डीलिमिटेशन का काम नहीं हो पाया है। यह पोलिटिकल करप्शन है। बावजूद आश्वासन देने के और माननीय सदस्यों के प्रश्न पूछने पर भी यही आवश्वासन दिया गया था, लेकिन गर्मी का बहाना लेकर चुनाव टाले गये। आपकी नीतियों से जनता सहमत नहीं है इसलिये भय के कारण आप चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं, वह हमें बतला दें कि चुनाव अवश्य होंगे तो हमें विश्वास हो जायगा। मंत्री जी तो इस बिल को पायलट कर रहे हैं, इससे उनके कहने की कोई ऐसी बात नहीं है जो वजनदार हो।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो आज आया है उसमें यह है कि ३१ दिसम्बर तक चुनाव हो जायेंगे। लेकिन अब इस सरकार की साख उखड़ गई है। हमें मुख्य मंत्री जी पर एतबार था। हमारी मुख्य मंत्री जी जो बात कह देती हैं उस पर वह अटल रहती हैं। वह अटल तो रहें, लेकिन त्रिपाठी और गुप्ता के दो भयंकर मामले आतेहैं तो वह गड़बड़ा जाती हैं। यह मसला है। उपाध्यक्ष जी, आज भी हमें उनके ऊपर इत्मीनान है। अगर वह गड़बड़ायें नहीं और अटलता से कह दें तो आज भी हमें उनके ऊपर इत्मीनान है। हमें भी इत्मीनान इस सरकार पर नहीं हो रहा है। मैं तो विरोध इस बात का नहीं कर रहा हूं कि चुनाव न हों। हम तो चाहते हैं कि जनतंत्रीय तरीके से चुनाव हों, लेकिन इस सरकार ने तो हिटलर को भी मात कर दिया है और जनतंत्र का खून करती चली जा रही है। दिखावे का जनतंत्र आज है। श्रीमन्, जहां तक मुझे याद है उधर से एक एलान हुआ था कि कांग्रेस अपने चुनाव चिह्न को लेकर इन निकायों का चुनाव नहीं लड़ेगी। न मालूम कैसे एलान हो गया, लेकिन न जाने कैसे अब नींद हटी और सोचने लगी कि कांग्रेसी एक बच्चा भी नहीं आयेगा अगर बैलों की जोड़ी नहीं हुई। यही बात थी, गर्मी की बात नहीं थी, गर्मी में तो भरे जून में चिलचिलाती धूप में फर्रूखाबाद और अमरोहा में चुनाव हुये, पंजाब में हुये तो मौसम वगैरह की कोई बात नहीं थी। बात असल वह थी जो मैं कह रहा हूं। मगर मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे अपनी साख को बढ़ावें।

आपके मुख्य मंत्री होने से हमें बहुत आशा हुई, यह तो आप जानती हैं, लेकिन त्रिपाठी और गुप्ता दो पहाड़ों के बीच में मत टकराइये। जो बात आप सदन में कहिये अटल रहिये। मुख्य मंत्री का पद रहे या न रहे सही बात कह दी तो कह दी। हमने आपका त्याग देखा है। आप नोआखाली में गांधी जी के साथ-साथ दर-दर जनता की सेवा के लिये घूमी थीं तो इस समय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह]

मंत्रित्व के चक्कर में आकर गड़बड़ाइये मत। मैं यथार्थ बात कहता हूं। ब्रज में एक कथा है कि "बादशाह लाख वर्ष जीवे, एक न एक दिन मरता है।" एक दूसरी कहावत है "लाख जीवनी नाम धरो, मरेगी जरूर" तो नाम रखने से क्या जीवनी कोई लड़की थोड़े ही बनी रहेगी। हम भी विश्वास करने लगें इस सरकार पर अगर यह अपनी कथनी करनी में अन्तर न रखे क्योंकि हम भी समाजवादी हैं और समाजवादी ही एक ऐसा आदमी है जो सच्ची बात पर विश्वास करता है और जो बापू जी के दिखाये हुये रास्ते पर चलने के लिये तैयार रहता है। और कांग्रेसी तो आज वह है जो चौबीसों घंटे झूठ बोलता है। (श्री मुरलीधर कुरील के कुछ कहने पर) देखिये यह क्या कह रहे हैं? हम तो आप से बहुत पहले से कांग्रेसी रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

लखीसिंह जी अब समाप्त कीजिय।

श्री लखीसिंह--

मैं समाप्त करता हूं। मुख्य मंत्री जी सदन में खड़े हो कर अटल हो कर कह दें कि यह चुनाव अब ३१ दिसम्बर से आगे एक दिन भी नहीं टलेंगे। तो फिर इस विधेयक का विरोध हम क्यों करें? हम विरोध तो इसलिये करते हैं कि इस सरकार की मनोभावना ठीक नहीं है। इस वजह से हम विरोध करते हैं। इन शब्दों से मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

आश्वासन वगैरह का तो कोई सवाल नहीं है, पर मैं खुद चाहती हूं कि एलेक्शन हो जाय और आपका एलेक्शन ३१ दिसम्बर से काफी पहले हो जायगा। आप इस पर इत्मीनान रखिये।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

अब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६४ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और १७ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन १ बजकर ५० मिनट पर सोमवार, १७ अगस्त, १९६४ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

रामप्रकाश,
सहायक सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
११ अगस्त, १९६४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०९ पर)

लिस्ट

(१) श्री बी० पी० सिंघल,, सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस (रूरल), कानपुर ।

(२) श्री के० के० दास, आई० सी० एस०, कमिश्नर, लखनऊ डिवीजन, लखनऊ ।

(३) श्री आर० पी० भार्गव, मेम्बर, बोर्ड आफ रेवेन्यू, उ० प्र०, लखनऊ ।

(४) श्री एस० एन० वर्मा, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (अधिष्ठान) उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(५) डा० दीनदयाल गुप्ता, प्रोफेसर, एण्ड हेड आफ डिपार्टमेंट आफ हिन्दी, लखनऊ युनिवर्सिटी, लखनऊ ।

(६) श्री एम० एम० गुप्ता, उप परिवहन आयुक्त (रोडवेज), उ० प्र०, लखनऊ ।

(७) श्री पी० पी० टिक्कू, हिन्द फ्लाइंग क्लब, लखनऊ ।

(८) श्री मोहम्मद जहीर, ज्वाइंट सेक्रेटरी टु गवर्नमेन्ट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, लखनऊ ।

(९) श्री एस० एन० गुप्ता, डाइरेक्टर आफ फोरेन्सिक लेबोरेटरी, महानगर, लखनऊ ।

(१०) श्री आर० एस० शर्मा, प्रोफेसर आफ टेक्नालाजी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी ।

(११) श्रीमती प्रकाशवती सूद, डिप्टी मिनिस्टर, सोशल वेलफेयर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(१२) मिस्टर जस्टिस एस० सी० खरे, हाई कोर्ट, इलाहाबाद ।

(१३) मिस्टर जस्टिस रामआसरे मिश्रा, हाई कोर्ट, इलाहाबाद ।

(१४) मि० जस्टिस के० बी० अस्थाना, हाई कोर्ट, इलाहाबाद ।

(१५) मिस्टर जस्टिस वी० जी० ओक, हाई कोर्ट, इलाहाबाद ।

(१६) श्री शिव प्रसाद गुप्ता, डिप्टी मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश ।

(१७) श्री महन्त ए० पी० शर्मा, द्वारा श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा, डिप्टी मिनिस्टर ।

(१८) श्रीमती राजकुमारी, लखनऊ, द्वारा श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, चेयरमैन, पब्लिक सर्विस कमीशन, उ० प्र० ।

(१९) श्री नियाज हुसेन, एम० एल० ए०, फरीदी बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ ।

(२०) राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश ।

(२१) श्री एस० एम० हफीज, सुपरिन्टेन्डेन्ट सेंट्रल प्रिजन्स, बरेली ।

(२२) श्री एस० एल० शाह, टाइम्स आफ इंडिया ग्रुप, लखनऊ ।

(२३) श्री डी एस० राठौर, कमिश्नर कम–सेक्रेटरी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंन्ट (एक्साइज), उ० प्र० शासन ।

(२४) डा० श्रीमती कमल स्थालेकर, असि० मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद ।

(२५) डा० शौकत उल्लाह खान, रजा क्लीनिक, रामपुर ।

(२६) डा० एस० एन० चटर्जी, इंस्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स, लखनऊ

(२७) श्री एस० एन० निगम, सेक्रेटरी, बोर्ड आफ रेवेन्यू, लखनऊ ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१ पर)

स्थान जिनका विद्युतीकरण हो चुका है

१--रसौली
२--हैदरगढ़
३--नयागंज
४--मीतरिया
५--पटरा नगर
६--बरैल

स्थान जिनको विद्युतीकरण के लिये चुना जा चुका है पर अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है

१--अलियाबाद
२--सुबेहा
३--सैदपुर
४--जैदपुर
५--गदिया
६--फतेहपुर
७--देवा
८--कुर्सी
९--मोहसंद
१०--बिलहरा
११--जहांगीराबाद
१२--रामनगर
१३--बंकी।

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२८ पर)

१९६४–६५ में जितने ग्रामों को ऊंचे किये जाने की योजना है उनकी जिलेवार संख्या		१९६४–६५ में जिन-जिन स्थानों पर बाढ़ शिविर बनाये जाने की योजना है उनके नाम
१––गोरखपुर	११९	
२––बहराइच	९०	
३––बस्ती	१५०	
४––गोंडा	७९	
५––देवरिया	८५	शिवपुर
६––जौनपुर	२०	
७––आजमगढ़	६८	मोहम्मदपुर
८––इलाहाबाद	६	बामपुर
९––उन्नाव	२	
१०––सुल्तानपुर	१३	
११––सीतापुर	५	
१२––बाराबंकी	४	
१३––बलिया	८	
१४––गाजीपुर	१०	
योग	६५९	

पी० एस० यू० पी०––ए० पी०––१०४ एल० ए० १९६४––८६० ।